



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 29, 2016/फाल्गुन 10, 1937

No. 132]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 29, 2016/PHALGUNA 10, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 202(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 457 के साथ पठित धारा 218क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुद्री श्रम अभिसमय के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और नाविक के नियोजकों तथा नाविकों के प्रतिनिधि के रूप में भारत में ऐसे संगठनों से परामर्श करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1**प्रारंभिक**

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्री श्रम) नियम, 2016 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**—ये नियम वाणिज्यिक क्रियाकलापों में लगे हुए सभी भारतीय ध्वज पोतों पर कार्यरत सभी नाविकों को लागू होंगे किंतु -
(क) ऐसे पोतों को लागू नहीं होते हैं जो केवल अंतर्देशीय सागर खंडों में या रक्षित सागर खंडों या क्षेत्रों के भीतर या उनके निकटतः पार्श्वस्थ सागर खंडों में वहां नौवहन करते हैं जहां पत्तनों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त कोई विधि लागू होती है ;
(ख) मछली पकड़ने संबंधी क्रियाकलापों में लगे हुए पोत;
(ग) ढो और जंक जैसे पारंपरिक रूप से निर्मित पोत; और
(घ) युद्धपोत या नौसैनिक सहायक सेना।
3. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

- (ख) “सामूहिक सौदा करार” से भारतीय ध्वज पोतों के फलक पर नाविकों के नियोजन के लिए नाविक व्यवसाय संघों और भारतीय पोत स्वामियों के बीच समय-समय पर हस्ताक्षर किया गया करार अभिप्रेत है;
- (ग) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (घ) “सकल टन भार” से वाणिज्यिक पोत परिवहन (पोतों का टन भार मापन) नियम, 1987 के अनुसार अवधारित पोत के समग्र आकार का माप अभिप्रेत है;
- (ङ.) “अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यात्रा” से एक देश से ऐसे देश से बाहर पत्तन तक या पत्तन से या भारत से बाहर किसी देश में दो पत्तनों के बीच समुद्री यात्रा अभिप्रेत है;
- (च) “मान्यता प्राप्त संगठन” से इन नियमों के कार्यावयन के प्रयोजन के लिए पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है;
- (छ) “भर्ती और नियोजन सेवा” से पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी कंपनी, संस्था, अभिकरण या अन्य संगठन अभिप्रेत है जो नियोजकों की ओर से नाविकों की भर्ती करने में या नियोजकों के साथ नाविकों को नियोजित करने में लगा हुआ है;
- (ज) “नाविक नियोजन करार” के अंतर्गत –
- नियोजन की संविदा;
 - करार के अनुच्छेद;
- (झ) “पोत स्वामी” के अंतर्गत ऐसा कोई अन्य संगठन या व्यक्ति जैसे प्रबंधक, अभिकर्ता या अनावृत्त नौका चार्टर आते हैं जिन्होंने स्वामी से पोत के प्रचालन के लिए जिम्मेदारी ली है और जो ऐसी जिम्मेदारी लेने पर इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि कोई अन्य संगठन या व्यक्ति पोत स्वामी की ओर से कतिपय कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं या नहीं, समुद्री श्रम अभिसमय के अनुसार पोत स्वामियों पर अधिरोपित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भार संभालने के लिए सहमत हो गए हैं;
- (ञ) “विनिर्दिष्ट” से वाणिज्य पोत परिवहन सूचना के माध्यम से पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

पोतों पर कार्य करने के लिए नाविकों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं

- न्यूनतम आयु.**—सोलह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति रात्रि कार्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा या कोई अन्य परिसंकटमय कार्य जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किया जाए, के बारे में ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुए किसी पोत पर कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा।
- चिकित्सीय दृष्टया योग्यता प्रमाण पत्र-** कोई व्यक्ति नाविक के रूप में तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उसे चिकित्सीय दृष्टया योग्य के रूप में प्रमाणित न कर दिया जाए और अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित चिकित्सीय दृष्टया योग्यता प्रमाण पत्र न रखता हो।
- प्रशिक्षण और अर्हता-** (1) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि नाविक पोत पर तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित न कर दिया जाए या सक्षम या अन्यथा अर्हित के रूप में प्रमाणित न कर दिया जाए।

- (2) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि नाविकों को किसी पोत पर कार्य करने की तब अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि उन्हें पोत के फलक पर निजी सुरक्षा के लिए निजी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा न कर लिया हो।
- (3) उप-नियम (1) और (2) के प्रयोजन के लिए, पोत परिवहन महा निदेशक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अंगीकृत आज्ञापक लिखतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण और प्रमाणन विनिर्दिष्ट करेगा।

7. भर्ती और नियोजन- भारतीय नाविकों की भर्ती और नियोजन वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।

अध्याय 3

नियोजन की शर्तें

8. नाविक का नियोजन करार-(1) प्रत्येक भारतीय ध्वज पोत नाविक के नियोजन करार के बारे में निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, अर्थात्:-

- (क) भारतीय ध्वज पोतों पर कार्यरत नाविकों के पास नाविक और पोत स्वामी दोनों या पोत स्वामी के किसी प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित नाविक नियोजन करार होगा या जहां वे कर्मचारी नहीं हैं वहां संविदात्मक या वैसे ही ठहराव जिनमें इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षानुसार पोत के फलक पर शिष्ट कार्य या रहन सहन की दशाओं का उपबंध होगा, का साक्ष्य होगा।
- (ख) नाविक नियोजन करार पर हस्ताक्षर करने वाले नाविकों को हस्ताक्षर करने से पूर्व करार की जांच करने और उस पर सलाह और ऐसी अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि उन्होंने अपने अधिकार और उत्तरदायित्वों के पर्याप्त समझ के साथ स्वतंत्र रूप से करार किया है।
- (ग) संबद्ध पोत स्वामी और नाविक प्रत्येक नाविक नियोजन करार के मूल पर हस्ताक्षर करेगा ;
- (घ) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि नियोजन की शर्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी, नाविकों जिसके अंतर्गत पोत का मास्टर भी है, द्वारा फलक पर सहजतः प्राप्त की जाती है और नाविक नियोजन करार की प्रति सहित ऐसी जानकारी पोत परिवहन महानिदेशक या दौरा किए जाने वाले पत्तनों में पत्तन राज्य प्राधिकारियों सहित इस प्रकार अधिसूचित कोई अन्य अस्तित्व के लिए पहुंच योग्य होती है;
- (ङ.) संविदा की समाप्ति या उसके पर्यवसान पर प्रत्येक नाविक का चलत निर्मुक्ति प्रमाण पत्र पोत के फलक पर नियोजन के अभिलेख के साथ पृष्ठांकित किया जाएगा।
- (2) जहां सामूहिक सौदा करार पूर्णतया या भागतः किसी नाविक नियोजन करार का भाग है वहां उस करार की प्रति फलक पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (3) नाविक नियोजन करार और कोई अन्य सामूहिक सौदा करार अंग्रेजी में होगा।
- (4) पोत स्वामी या इसके अनुज्ञप्त इसके भर्ती तथा नियोजन सेवा प्रदाता ऐसी समय सीमा के भीतर जो पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए पोत मास्टर या अन्य संबद्ध प्राधिकारी को नाविक के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुच्छेद फाइल करेगा।
- (5) अन्य बातों के साथ-साथ नाविक नियोजन करारों में सभी दशाओं में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात्-
- (क) नाविक का पूरा नाम, जन्म की तारीख, आयु और जन्म का स्थान;
- (ख) पोत स्वामी का नाम और पता;
- (ग) स्थान जहां पर और तारीख जब नाविक नियोजन करार किया गया है ;
- (घ) वह हैसियत जिसमें नाविक को नियोजित किया जाना है;

- (ड.) नाविकों की मजदूरी की रकम या जहां लागू हो, उनकी संगणना करने के लिए प्रयोग में लाया गया सूत्र;
- (च) वार्षिक छुट्टी की संदत्त रकम या जहां लागू हो उसकी संगणना करने के लिए प्रयोग में लाया गया सूत्र;
- (छ) करार का पर्यवसान और उसकी शर्तों, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है,-
- (i) यदि करार अनिश्चितकाल के लिए किया गया है तो किसी पक्षकार को उसे पर्यवसित करने का हकदार बनाने वाली शर्तें, सूचना की अपेक्षित अवधि जो पोत स्वामी के लिए उससे कम नहीं होगी जो नाविक के लिए है ;
 - (ii) यदि करार निश्चित अवधि के लिए किया गया है तो उसकी समाप्ति के लिए नियत की गई तारीख ; और
 - (iii) यदि करार किसी समुद्री यात्रा के लिए किया गया है तो गन्तव्य का पत्तन और समय जो नाविक के निर्मुक्त कर दिए जाने से पूर्व आगमन के पश्चात् समाप्त होना है ।
- (ज) पोत स्वामी द्वारा नाविक को प्रदान किया जाने वाला स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण;
- (झ) संप्रत्यावर्तन के लिए नाविक की हकदारी;
- (ञ) सामूहिक सौदा करार के प्रति निर्देश, यदि लागू हो; और
- (ट) कोई अन्य विशिष्टियां या फार्मेट जो पोत स्वामियों और नाविकों के प्रतिनिधियों के परामर्श से पोत महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (6) नाविक नियोजन करार के शीघ्र पर्यवसान के लिए नाविकों और पोत स्वामियों द्वारा दी जाने वाली सूचना की न्यूनतम अवधि सामूहिक सौदा करार या नाविक नियोजन करार के अनुसार होगी किंतु किसी भी दशा में सात दिन से कम की नहीं होगी ।
- (7) उप नियम 6 के अनुसार न्यूनतम अवधि से कम, नोटिस की अवधि उन परिस्थितियों में दी जाए जो अल्पतर नोटिस या नोटिस के बिना नियोजन करार के पर्यवसान को न्यायोचित ठहराने के रूप में लागू सामूहिक सौदा करारों के अधीन मान्यता प्राप्त है और इन परिस्थितियों का अवधारण करने में, पोत स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अल्पतर नोटिस पर या अनुकंपा या अन्य अत्यावश्यक कारणों के लिए बिना नोटिस नियोजन करार शास्ति के बिना पर्यवसित करने की नाविक की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा ।
- (8) पोत के गुम हो जाने से उत्पन्न होने वाली कोई क्षति, हानि या बेरोजगारी या डूब जाने की दशा में पोत स्वामी से प्रतिकर के लिए नाविकों की हकदारी सामूहिक सौदा करार या नाविक नियोजन करार में निर्दिष्ट की जाएगी ;
- 9. मजदूरी-** (1) पोत स्वामी मासिक अंतरालों से कम पर अपने पोतों के फलक पर कार्यरत नाविकों को शोधय संदाय करेगा:
- परंतु उपनियम (1) में यथा उल्लिखित मजदूरों के लिए किसी सामूहिक सौदा करार की दशा में उसे मासिक अंतरालों से कम अंतरालों पर करार के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।
- (2) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि नाविकों को देय संदायों और संदत्त रकमों, जिसके अंतर्गत अतिरिक्त संदाय भी हैं और जहां संदाय विदेशी मुद्रा में किया गया है वहां विनिमय दर का मासिक लेखा दिया जाता है ।
 - (3) पोत स्वामी नाविकों को अपने परिवारों या आश्रितों या विधिक फायदाग्राहियों को अपने सभी उपार्जनों या उसके भाग को संप्रेषित करने के लिए साधन उपलब्ध कराने के लिए उपाय करेगा ।
 - (4) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय तैयार करेगा कि नाविक अपने परिवारों को अपने उपार्जनों को प्रेषित करने में समर्थ हैं, जिनमें निम्नलिखित भी हैं:-

- (क) नाविकों को बैंक अंतरणों द्वारा या वैसे ही साधनों द्वारा उनके परिवारों को नियमित अंतरालों पर संप्रेषण के लिए उनकी मजदूरियों के अंश को आबंटित करने के लिए, यदि वे ऐसी वांछा करते हैं, नियोजन में उनके प्रवेश करने के समय या उसके दौरान समर्थ बनाने के लिए प्रणाली;
- (ख) ऐसी अपेक्षा कि आबंटन नाविकों द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्यक् काल में और सीधे ही प्रेषित किए जाएंगे;
- (ग) उपनियम (3) और उपनियम (4) के खंड (क) और (ख) के अधीन सेवा के लिए कोई प्रभार रकम के अनुसार युक्तियुक्त होंगे और जब तक कि अन्यथा उपबंध न कर दिया जाए विनिमय मुद्रा की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित विद्यमान बाजार दर या शासकीय दर पर होगी और नाविक के अननुकूल नहीं होगी ।
- (5) सामूहिक सौदा करार या नाविक नियोजन करार में सम्मिलित मजदूरी समुद्री श्रम अभिसमय में यथा अधिकथित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगी ।

10. कार्य के घंटे और विश्राम-(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, पद,-

- (क) "कार्य के घंटे" से ऐसा समय अभिप्रेत है जिसके दौरान नाविकों से पोत के मद्दे कार्य करने की अपेक्षा की जाती है;
- (ख) "विश्राम के घंटे" से कार्य के घंटों से बाहर का समय अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत कार्य के घंटों के दौरान एक घंटे तक का अल्प अवकाश या भोजनावकाश सम्मिलित नहीं है ।
- (2) नाविकों के लिए सामान्य कार्य घंटे मानक प्रति सप्ताह एक दिन के विश्राम और सामान्य सौदा करार या नाविक नियोजन करार के अनुसार सार्वजनिक अवकाश पर विश्राम के साथ एक दिन में आठ घंटे से अधिक नहीं होंगे ।
- (3) पोत स्वामी विश्राम के न्यूनतम घंटे अपनाएगा जो,-
- (i) किसी चौबीस घंटे की अवधि में दस घंटे से कम नहीं होगा ; और
- (ii) भिन्न भिन्न अवधियों में सात दिन की कुल अवधि में सतत्तर घंटे से कम नहीं होगा ।
- (4) विश्राम के न्यूनतम दस घंटे दो अवधियों से अधिक में विभाजित नहीं होंगे, जिनमें से एक अवधि कम से कम छह घंटे की होगी और विश्राम की क्रमिक अवधियों के बीच अंतराल चौदह घंटे से अधिक नहीं होगा ।
- (5) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा तथा अंतरराष्ट्रीय लिखतों द्वारा उपबंधित हजिरी, अग्निशमन और रक्षा नौका ड्रिलों ऐसी रीति में संचालित की जाएंगी जो विश्राम अवधि के विक्षोभ को न्यूनिकृत करते हैं और थकावट उत्पन्न नहीं करते हैं ।
- (6) जब कोई नाविक काम पर है जैसे जब कोई मशीनरी के स्थान पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो नाविक को पर्याप्त प्रतिकारात्मक विश्राम अवधि मिलेगी यदि विश्राम की सामान्य अवधि कार्य करने के लिए कालआउट द्वारा बाधित की जाती है ।
- (7) यदि कोई सामूहिक सौदा करार या माध्यस्थम् अधिनिर्णय विद्यमान है या यदि पोत परिवहन महानिदेशक यह अवधारित करता है कि उपनियम (5) या उपनियम (6) के संबंध में करार में उपबंध पर्याप्त हैं, पोत परिवहन महानिदेशक संबद्ध नाविकों को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे उपबंध विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उन्हें पर्याप्त विश्राम मिले ।
- (8) पोत स्वामी पोत के फलक पर कार्यरत ठहरावों सहित सारणी की पोस्टिंग सहज सुगम्य स्थान में सुनिश्चित करेगा जिसमें कम से कम प्रत्येक स्थिति के लिए निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा-
- (क) समुद्र में सेवा और पत्तन में सेवा की अनुसूची; और
- (ख) लागू सामूहिक सौदा करारों के कार्य ढांचे के भीतर करार पाए गए अनुसार विश्राम के न्यूनतम घंटे ।
- (9) उपनियम (8) में निर्दिष्ट सारणी कार्य की भाषा या पोत की भाषाओं में और अंग्रेजी में पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानकीकृत फार्मेट में स्थापित की जाएगी ।

- (10) पोत स्वामी उपनियम (3) से उपनियम (9) के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी को अनुज्ञात करने के लिए विश्राम क नाविकों के दैनिक घंटों का अभिलेख रखेगा ।
- (11) अभिलेख अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के किन्हीं उपलब्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट मानकीकृत फार्मेट में होंगे और फार्मेट उपनियम (9) की अपेक्षानुसार भाषाओं में संगठन द्वारा तैयार किए किसी मानक फार्मेट में होगा ।
- (12) नाविकों से संबंधित अभिलेखों की प्रति मास्टर या मास्टर द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पृष्ठांकित की जाएगी ।
- (13) (क) इस नियम में कोई बात पोत के मास्टर के अधिकार को पोत की तुरंत सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य के घंटों का निष्पादन करने के लिए नाविक से अपेक्षा करने से निवारित नहीं करेगी ।
- (ख) खंड (क) के उपबंधों के अनुसार मास्टर कार्य के घंटों या विश्राम के घंटों की अनुसूची को निलंबित कर सकेगा और नाविक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आवश्यक कार्य के किन्हीं घंटों का तब तक निष्पादन करे जब तक की स्थिति सामान्य न हो जाए ।
- (ग) यावत्साध्य सामान्य स्थिति हो जाने के पश्चात् मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई नाविक जिसने अनुसूचित विश्राम अवधि में कार्य किया है, को विश्राम की पर्याप्त अवधि उपलब्ध करा दी जाती है ।
- (14) (क) उपनियम (3) और उपनियम (4) के अधीन विश्राम के अपेक्षित घंटों से छूट दो क्रमिक सप्ताहों से अनधिक के लिए अनुज्ञात की जा सकेगी की विश्राम अवधि किसी सात दिन की अवधि में सत्तर घंटे से कम नहीं है और फलक पर छूट की दो अवधियों के बीच अंतराल छूट की अवधि के दुगुने से कम है ।
- (ख) छूट के दौरान उपलब्ध कराई गई चौबीस घंटे की अवधि में से विश्राम के दस घंटे तीन अवधियों से अनधिक में विभाजित किए जा सकेंगे, जिनमें से एक अवधि कम से कम छह घंटे की होगी और उक्त अवधियां एक घंटे से की नहीं होंगी ।
- (ग) विश्राम की क्रमिक अवधियों के बीच अंतराल चौदह घंटे से अनधिक का नहीं होगा; परंतु किसी सात दिन की अवधि में चौबीस घंटे से परे कोई छूट नहीं दी जाएगी ।
1. छुट्टी की हकदारी- (1) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित संक्रियात्मक पैरामीटरों और पद्धतियों को स्थापित करेगा कि नाविकों को पर्याप्त छुट्टी उपलब्ध करा दी जाती है, अर्थात्:-
- (क) पोत पर नियोजित नाविकों को नियोजन के प्रतिमास कम से कम 2.5 कैलेंडर दिवसों या उसके मात्रा अनुपात अनुसार संदत्त वार्षिक छुट्टी दी जाएगी;
- (ख) नाविकों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण की सुरक्षा करने के लिए और उनकी हैसियत की संक्रियात्मक अपेक्षाओं के साथ पर्याप्त अवधि की अपतट छुट्टी प्रदान की जाएगी ।
- (2) इस नियम में विनिर्दिष्ट वेतन सहित न्यूनतम वार्षिक छुट्टी को छोड़ने के लिए कोई करार, पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, प्रतिषिद्ध होगा; परंतु वार्षिक छुट्टी का भागों में विभाजन या छुट्टी की पश्चातवर्ती अवधि के साथ एक वर्ष के संबंध में देय ऐसी वार्षिक छुट्टी का संचयन पोत स्वामी और संबद्ध नाविक के बीच पारस्परिक करार के अध्यक्षीन प्राधिकृत है ।
12. **संप्रत्यावर्तन-** (1) यह सुनिश्चित करने के लिए पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में पोत स्वामी वित्तीय प्रतिभूति देगा कि नाविकों को इस नियम के उपबंधों के अनुसार सम्यकतः संप्रत्यावर्तित कर दिया जाए ।
- (2) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके पोतों पर नाविकों के पास बिना किसी खर्च के निम्नलिखित परिस्थितियों में संप्रत्यावर्तित किए जाते हैं, अर्थात् –
- (क) यदि नाविक नियोजन करार समाप्त हो जाता है,
- (ख) नाविक नियोजन करार-
- i. पोत स्वामी द्वारा; या
- ii. नाविक द्वारा;

सामूहिक सौदा करार/ सौदा नियोजन करार के अनुसार न्यायोचित कारणों से पर्यवसित कर दिया जाता है; और

(ग) जब नाविक अपने नियोजन करार के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में अधिक समय तक समर्थ नहीं है या उनसे सामूहिक सौदा करार/नाविक नियोजन करार के अनुसार विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में उन्हें पालन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

(घ) सामूहिक सौदा करार/नाविक नियोजन करार के अनुसार अनुकंपा के आधार पर ;

(ड.) उनके परित्याग की दशा में ।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए , नाविक को वहां परित्यक्त कर दिया गया समझा जाएगा जहां इस अधिनियम या इन नियमों की अपेक्षाओं या नाविक नियोजन करार के निबंधनों के अतिलंघन में, पोत स्वामी,-

(क) नाविक के संप्रत्यावर्तन के खर्च की भरपाई करने में असफल रहता है; या

(ख) आवश्यक भरण-पोषण तथा सहायता (जिसके अंतर्गत पर्याप्त भोजन, आवास, पेयजल आपूर्ति, पोत के फलक पर उत्तरजीविता और आवश्यक चिकित्सा देखभाल भी है) के बिना नाविक को छोड़ दिया है; या

(ग) कम से कम दो मास की अवधि के लिए संविदात्मक मजदूरी संदाय करने की असफलता सहित नाविक के साथ अपने संबंध अन्यथा एक पक्षीय रूप से तोड़ लिए हैं

(3) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि सामूहिक सौदा करार में ऐसे समुचित उपबंध हैं जो,-

(क) उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट करते हैं जिनमें नाविक उप नियम (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार संप्रत्यावर्तन के हकदार हैं,

(ख) फलक पर सेवा अवधियों की अधिकतम अवधि जिनका अनुसरण करते हुए नाविक ऐसे संप्रत्यावर्तन का हकदार है- जो बारह मास से कम का होगा; और

(ग) संप्रत्यावर्तन जिसके अंतर्गत संप्रत्यावर्तन के गंतव्यों, परिवहन का ढंग, वसूल किए जाने वाले खर्च की मदें और पोत स्वामियों द्वारा की जाने वाली अन्य व्यवस्थाएं हैं, से संबंधित संप्रत्यावर्तन भी हैं, के लिए पोत स्वामी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुनिश्चित हकदारी, को विनिर्दिष्ट करते हैं।

(4) पोत स्वामी यह अपेक्षा करने वाला कोई उपबंध नहीं करेगा कि नाविक अपने नियोजन के आरंभ पर संप्रत्यावर्तन की लागत के लिए और नाविकों की मजदूरियों से संप्रत्यावर्तन की लागत वसूल करने से भी सिवाय वहां के जहां नाविक लागू सामूहिक सौदा करारों के अनुसार नाविक के नियोजन संबंधी बाध्याताओं का व्यतिक्रमी पाया गया है, कोई अग्रिम संदाय करता है।

(5) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात का तृतीय पक्षकार संविदात्मक करारों के अधीन संप्रत्यावर्तन की लागत वसूल करने के लिए पोत स्वामी के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(6) प्रत्येक पोत स्वामी नाविकों को संप्रत्यावर्तन के लिए लागू उपबंधों की प्रति अंग्रेजी में उपलब्ध कराएगा।

(7) यदि पोत स्वामी नाविकों के जो संप्रत्यावर्तित किए जाने के हकदार हैं, संप्रत्यावर्तन के लिए व्यवस्था करने या उनके संप्रत्यावर्तन के खर्च को पूरा करने में, असफल रहता है,-

(क) पोत परिवहन महानिदेशक संबद्ध नाविकों के संप्रत्यावर्तन के लिए व्यवस्था करेगा या वह देश जिससे नाविकों को संप्रत्यावर्तित किया जाना है या वह देश जिसके वे राष्ट्रिक हैं , उनके संप्रत्यावर्तन के लिए व्यवस्था कर सकेगा और ऐसे सभी मामलों में खर्च नियम 1 और उपनियम (1) और (12) में निर्दिष्ट वित्तीय प्रतिभूति से वसूल किया जाएगा;

(ख) संप्रत्यावर्तन के खर्चे किसी भी दशा में उपनियम (4) में उपबंध किए गए अनुसार के सिवाय नाविकों पर प्रभार नहीं होगा।

(8) लागू अंतरराष्ट्रीय लिखतों जिनमें अंतरराष्ट्रीय पोत गिरफ्तारी अभिसमय, 1999 को ध्यान में रखते हुए, पोत परिवहन महानिदेशक जिसने इस नियम के अनुसरण में संप्रत्यावर्तन के खर्च की व्यवस्था की है, संबद्ध पोत के स्वामी के पोत को तब तक प्रतिधारित कर सकेगा या उसके प्रतिधारण के लिए अनुरोध कर सकेगा जब तक कि उपनियम (7) के खंड (ग) के अनुसार प्रतिपूर्ति न कर दी जाए;

(9) पोत परिवहन महानिदेशक उन पोतों पर जो उसके पत्तनों पर ठहरते हैं राज्यक्षेत्रीय या आंतरिक जल सागरों से गुजरते हैं और फलक पर उनके प्रतिस्थापन कार्यरत नाविकों के संप्रत्यावर्तन को सुकर बनाएगा।

(10) विशिष्टता, किसी नाविक के संप्रत्यावर्तन के अधिकार का पोत स्वामी की वित्तीय परिस्थितियों के कारण या पोत स्वामी की असमर्थता या नाविक को बदलने की अनिच्छा के कारण इंकार नहीं किया जाएगा।

(11) पोत स्वामी यह सुनिश्चित यह करेगा कि इन नियमों की प्रति नाविकों को पहुंचाई जाई जाती है और फलक पर उपलब्ध करा दी जाती है।

(12) प्रत्येक पोत जिसको ये नियम लागू होते हैं, वित्तीय प्रतिभूति प्रदाता द्वारा जारी की गई वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य रखेगा और इनकी एक प्रति फलक के सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी जहां यह नाविकों के लिए उपलब्ध हो। जहां एक वित्तीय प्रतिभूति प्रदाता से अधिक वित्तीय प्रतिभूति प्रदाता हैं वहां प्रत्येक प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया गया दस्तावेज फलक पर वहन किया जाएगा।

(13) वित्तीय प्रतिभूति के प्रमाण पत्र या दस्तावेजी साक्ष्य में प्ररूप 1 में की अपेक्षानुसार सूचना अंतर्विष्ट होगी।

(14) वित्तीय प्रतिभूति प्रणाली निम्नलिखित को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त होगा, अर्थात्:-

(क) नियोजन करार के अधीन नाविकों को पोत परिवहन से शोध्य बकाया मजदूरी और अन्य हकदारियां सुसंगत सामूहिक सौदा करार किन्हीं ऐसी बकाया मजदूरियों के चार मास तक और किन्हीं ऐसी बकाया हकदारियों के चार मास तक सीमित।

(ख) नाविक द्वारा उपगत युक्तियुक्त सभी खर्चें जिनके अंतर्गत उपनियम (15) में निर्दिष्ट संप्रत्यावर्तन का खर्च भी है;

(ग) नाविकों की आवश्यक जरूरतें जिनके अंतर्गत ऐसी मर्दें अर्थात् पर्याप्त भोजन, वस्त्र भी हैं जहां पोत के फलक पर उत्तरजीविता के लिए आवश्यक आवास, पेयजल, आवश्यक ईंधन, आवश्यक चिकित्सीय देखरेख और कोई अन्य युक्तियुक्त खर्च या नाविकों के घर पर पहुंचने तक परित्याग गठित करने वाला कोई कार्य या लोप से प्रभार।

(15) संप्रत्यावर्तन के खर्च के अंतर्गत समुचित और शीघ्र साधनों द्वारा सामान्यता वायुयान द्वारा यात्रा होगी और इसके अंतर्गत पोत के छोड़ने के समय से नाविक के घर तक पहुंच जाने तक नाविकों के भोजन और आवास, आवश्यक चिकित्सा देखरेख वैयक्तिक चीजबस्त का ले जाना और उसका परिवहन तथा परित्याग से उद्भूत अन्य युक्तियुक्त खर्चें या प्रभार का उपबंध भी होगा।

(16) वित्तीय प्रतिभूति, वित्तीय प्रतिभूति की वैधता की अवधि की समाप्ति से पूर्व समाप्त नहीं होगी।

(17) यदि वित्तीय प्रतिभूति प्रदाता ने इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी नाविक को कोई संदाय किया है, तो ऐसा प्रदाता उस रकम तक जिसका उसने संदाय किया है, और लागू विधि के अनुसार प्रत्यासन, समनुदेशन पत्र अन्यथा द्वारा उस अधिकार को प्राप्त करेगा जिसका नाविकों ने प्रयोग किया हो।

13. पोत का गुम होना या डूब जाने पर नाविक का प्रतिकर:-

(1) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी पोत के गुम हो जाने या डूब जाने की प्रत्येक दशा में पोत स्वामी ऐसे गुम हो जाने या डूब जाने, उद्भूत होने वाले बेरोजगारी के प्रति क्षतिपूर्ति का, जो सामूहिक सौदा करार में विनिर्दिष्ट होगा, फलक पर प्रत्येक नाविक को संदाय करेगा।

(2) उपनियम (1) का उपबंध का नाविक के किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उसे पोत के गुम होने या डूब जाने से उद्भूत हुई हानि या क्षतियों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राप्त हो।

14. काम पर लगाने के स्तर-(1) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पोत वाणिज्य समुद्री विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुरक्षित काम पर लगाने संबंधी दस्तावेज के अनुसार प्रत्येक पोत को फलक पर नियोजित करेगा जिससे कि पोत तथा नाविक के परिश्रम तथा समुद्री यात्रा की विशिष्ट प्रकृति और दशाओं के बारे में चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सभी अवस्थाओं में सुरक्षा का सम्यक् ध्यान रखते हुए सुरक्षित रूप से दक्ष रूप से प्रचालित किए जाते हैं।

(2) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पोत का प्रबंध किसी ऐसे कर्मीदल द्वारा किया जाता है जो पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम रक्षा प्रबंधन दस्तावेज के अनुसार सभी प्रचालन दशाओं में पोत की तथा उसके कार्मिकों की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आकार और अर्हताओं के निबंधनानुसार पर्याप्त है।

(3) पोत परिवहन महानिदेशक काम पर लगाने के स्तरों का उदाहरण, अनुमोदन या पुनरीक्षण करते समय कार्य के अधिक घंटों से बचने या उनको न्यूनिकृत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखेगा जिससे कि पर्याप्त विश्राम सुनिश्चित किया जा सके और परिश्रम को सीमित किया जा सके तथा लागू अंतरराष्ट्रीय लिखतों के सिद्धांतों विशेष रूप से काम पर लगाने के स्तरों पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के सिद्धांतों को भी परिसीमित किया जा सके।

(4) पोत परिवहन महानिदेशक काम पर लगाने के स्तरों का अवधारण करने में नियम 17 की सभी अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखेगा।

15. नाविकों के नियोजन के लिए कैरियर और कौशल विकास तथा अवसर,- (1) पोत परिवहन महानिदेशक स्थायी और सक्षम कार्यबल वाले समुद्री सेक्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाविकों के लिए कैरियर और कौशल विकास तथा नियोजन के अवसरों को बढ़ावा देगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट नीतियों का उद्देश्य नाविकों की सहायता करने, उनकी सक्षमताओं को, अर्हताओं को और नियोजन संबंधी अवसरों को सुदृढ़ करने के लिए होगा।

(3) पोत परिवहन महानिदेशक पोत के स्वामियों से और संबद्ध नाविक संगठन से परामर्श करने के पश्चात् उन नाविकों के व्यावसायिक मार्गदर्शन, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए स्पष्ट उद्देश्य स्थापित करेगा जिनकी ड्यूटी पोत के फलक पर मुख्यतः चल रहे प्रशिक्षण सहित पोत के सुरक्षित प्रचालन और नौवहन से संबंधित हैं।

अध्याय 4

16. आवास और आमोद-प्रमोद संबंधी सुविधाएं- (1) पोत के फलक पर आवास और आमोद प्रमोद संबंधी सुविधाएं वाणिज्यिक पोत परिवहन (कर्मीदल आवास) नियम, 1960 और वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविक आवास) नियम, 2016 के अनुसार होगा।

(2) नियम 25 के अधीन अपेक्षित निरीक्षण उस समय किया जाएगा जब,-

(क) पोत रजिस्ट्रीकृत है या पुनः रजिस्ट्रीकृत है; या

(ख) पोत पर नाविक आवास सारवान रूप से परिवर्तित कर दिया गया है।

(3) पोत स्वामी पोत के फलक पर नाविक को निःशुल्क आमोद प्रमोद संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

17. खाद्य और खान-पान- (1) (क) पोत स्वामी अपेक्षित क्वालिटी, मात्रा और पोषणकारी महत्व और जल जिसके अंतर्गत पेयजल भी है, जिनमें पोत के फलक पर अनुपूरक की अपेक्षा उनकी धार्मिक अपेक्षा और खाद्य से संबंधित सांस्कृतिक प्रथाओं, समुद्री यात्रा की अवधि और प्रकृति भी सम्मिलित हैं, के खाद्य पदार्थों की विभिन्न किस्में उपलब्ध कराएगा।

(ख) खान पान विभाग का संगठन और उपस्कर ऐसा होगा जो स्वास्थ्यकर दशाओं में तैयार किए गए और परोसे गए पर्याप्त विभिन्न प्रकार के पोषणात्मक भोजन के उपबंध को अनुज्ञात कर सके।

(2) आपूर्ति किए गए खाद्य पदार्थ की क्वालिटी और मात्रा सामूहिक सौदा करार के अनुरूप होगी या जैसा पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पेयजल सहित खाद्य पदार्थ और जल, कार्य पर लगाए जाने की अवधि के दौरान नाविकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

(4) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे नाविक जिन्हें पोत के रसोइयों के रूप में नियोजित किया जाता है, पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षित, अर्हित और सक्षम हैं।

(5) खान पान कर्मचारीवृंद पोत के फलक पर अपने पदों के संबंध में प्रशिक्षित या अनुदेशित किए जाएंगे।

(6) दस से कम काम पर लगाए जाने वाले विनिर्दिष्ट कर्मचारों के साथ प्रचालन करने वाले पोतों पर, जिससे कर्मिदल के आकार या व्यापार पैटर्न के आधार पर पूर्णतय अर्हित रसोइया वहन करने की अपेक्षा न की जाए, रसोइघर में भोजन प्रसंस्कृत करने वाला कोई भी व्यक्ति भोजन और वैयक्तिक स्वच्छता और पोत के फलक पर भोजन बनाने और उसके भंडारण सहित क्षेत्रों में प्रशिक्षित या अनुदेशित किया जाएगा।

(7) आपवादिक आवश्यकता के मामले में, पोत परिवहन महानिदेशक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट पोत में परोसने हेतु अपूर्ण रूप से अर्हित रसोइया को अनुज्ञात करने वाली व्यवस्था पत्तन की अगली सुविधाजनक कॉल तक या एक मास से अनधिक की अवधि तक जारी कर सकेगा :

परंतु ऐसा व्यक्ति जिसको व्यवस्था जारी की जाती है पोत के फलक पर भोजन और वैयक्तिक स्वच्छता तथा भोजन का प्रबंध तथा भंडारण सहित क्षेत्रों में प्रशिक्षित या अनुदेशित किया गया है।

(8) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि बारम्बार दस्तावेजीकृत निरीक्षण पोतों के फलक पर निम्नलिखित के संबंध में मास्टर द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए जाते हैं,-

(क) भोजन, जल और पेयजल का प्रदाय;

(ख) भोजन जल और पेयजल के भंडारण तथा प्रबंधन के लिए प्रयोग किए गए सभी स्थान और उपस्कर; और

(ग) खाने के तैयार करने और उसके परोसने के लिए रसाई तथा अन्य उपस्कर।

(9) अठारह वर्ष से कम का कोई भी नाविक पोत के रसोइया के रूप में नियोजित नहीं किया जाएगा या काम पर नहीं लगाया जाएगा या कार्य नहीं करेगा।

अध्याय 5

स्वास्थ्य संरक्षण, चिकित्सा देखभाल, कल्याणकारी और सामाजिक संरक्षण

18. पोत के फलक और टट पर चिकित्सा देखरेख,- (1) पोत स्वामी पोत के फलक पर कार्यरत नाविकों के लिए, नाविकों को मुफ्त स्वास्थ्य संरक्षण और चिकित्सा देखरेख जिसके अंतर्गत आवश्यक दंत देखरेख भी है, उपलब्ध कराने के लिए ऐसे सभी उपाय अंगीकृत करेगा जो -

(क) जो नाविकों को उनके कर्तव्यों से सुसंगत व्यवसायिक स्वास्थ्य संरक्षण और चिकित्सा देखभाल संबंधी किसी साधारण उपबंध और फलक पर कार्य करते समय पोत के फलक पर कार्य करतेसमय विशेष उपबंधों का नाविकों को लागू किया जाना सुनिश्चित करे।

(ख) यह सुनिश्चित करे कि नाविक को वाणजिक पोत परिवहन (औषधि, ओषध भंडार साधित्र तथा प्राथमिक चिकित्सा उपस्कर) नियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार आवश्यक औषधियों, चिकित्सीय उपस्कर तक त्वरित पहुंच सहित स्वास्थ्य संरक्षण और चिकित्सा देखभाल तथा नैदानिक तथा उपचार और चिकित्सीय जानकारी और विशेषज्ञता की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ग) नाविकों को जहां साध्य हो निःशुल्क पत्तन की कॉल में अविलंब, अर्हित चिकित्सा व्यवसायी या दंत चिकित्सक के पास जाने का अधिकार प्रदान करना;

(घ) यह सुनिश्चित करता है कि जब नाविक पोत के फलक पर है या विदेशी पत्तन में ठहरा हुआ है तब चिकित्सा देखरेख और स्वास्थ्य सेवा संरक्षण नाविकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है और यह रुग्ण या आहत नाविकों के उपचार तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें निवारणात्मक स्वरूप के उपाय जैसे स्वास्थ्य, संवर्धन और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

(2) पोत स्वामी, पोत के मास्टर द्वारा उपयोग के लिए चिकित्सा प्ररूप तथा सुसंगत तट पर तथा फलक पर चिकित्सीय कार्मिक, जो पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट है अंगीकृत करेगा तथा प्ररूप पूर्ण किए जाने पर, इसकी अंतर्वस्तुओं को गोपनीय रखा जाएगा और नाविकों के उपचार को सुकर बनाने के लिए उपयोगकिया जाएगा।

(3) वह पोत जिसको वाणिज्यिक पोत परिवहन (चिकित्सा अधिकारियों का वहन) नियम, 1961 लागू होते हैं फलक पर चिकित्सा व्यवसायी का वहन करेगा।

(4) (क) उस पोत, जो किसी चिकित्सा व्यवसायी का वहन नहीं करता है, से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह फलक पर या तो कम से कम एक ऐसा नाविक रखे जो चिकित्सा देखरेख का भारसाधक है और अपनी नियमित ड्यूटी के भाग के रूप में ओषधि दे रहा है या फलक पर कम से कम एक ऐसा नाविक रखे जो प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम हो।

(ख) फलक पर चिकित्सा देखरेख के ऐसे भारसाधक व्यक्ति, जो चिकित्सा व्यवसायी नहीं हैं, ऐसी चिकित्सा देखरेख में जो प्रशिक्षण प्रमाणन तथा देखभाल अभिसमय के मानक की अपेक्षाओं को पूरी करते हैं, प्रशिक्षण समाधानप्रद रूप से पूरा किया हो।

(ग) प्राथमिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए पदाविहित नाविकों ने ऐसी प्राथमिक चिकित्सा सहायता में प्रशिक्षण समाधानप्रद रूप से पूरा कर लिया हो जो प्रशिक्षण प्रमाणन तथा देखभाल अभिसमय के मानक की अपेक्षाओं को पूरी करते हैं।

(5) (क) पोत स्वामी पूर्व व्यवस्थित प्रणाली द्वारा सुनिश्चित करेगा कि समुद्र में पोतों को रेडियो या उपग्रह संसूचना द्वारा सलाह जिसके अंतर्गत विशेषज्ञ सलाह भी है, दिन के सभी चौबीस घंटों में उपलब्ध करा दी जाती है।

(ख) ऐसी चिकित्सीय सलाह, जिसके अंतर्गत पोत और सलाह देने वाले तटों पर पोतों के बीच रेडियो या उपग्रह संसूचना द्वारा चिकित्सा संदेह का आगे पारेषण भी है, ध्वज जिसे वे फहराते हैं, को ध्यान में न रखते हुए सभी पोतों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी।

19. पोत स्वामी का दायित्व- (1) पोत स्वामी पोतों पर नियोजित नाविकों को जब वे नाविक नियोजन करार के अधीन कार्य कर रहे हों या ऐसे करार के अधीन उनके नियोजन से उत्पन्न होने वाली रुग्णता, क्षति या मृत्यु के वित्तीय परिणामों के संबंध में तात्विक सहायता और संभरण का अधिकार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नाविक को उपलब्ध किसी अन्य विधिक उपचार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) पोत स्वामी निम्नलिखित न्यूनतम मानकों के अनुसार पोत के फलक पर कार्यरत सभी नाविकों के स्वास्थ्य के संरक्षण और चिकित्सा देखरेख के लिए उत्तरदायी होगी, अर्थात्:-

(क) पोत स्वामी ड्यूटी के आरंभ होने की तारीख और वह तारीख जिस पर उन्हें सम्यक् रूप से संप्रत्यावर्तित समझा गया है के बीच घटने वाली या इन तारीखों के बीच उनके नियोजन से उद्भूत होने वाली नाविकों की रुग्णता और क्षति की बाबत उनके पोत पर कार्यरत नाविकों के लिए खर्च को वहन करने के लिए दायी होगा;

(ख) पोत स्वामी व्यवसायिक क्षति, रुग्णता या परिसंकट जैसा नाविक नियोजन करार या सामूहिक करार में उपवर्णित है, के कारण नाविकों की मृत्यु या दीर्घकालिक निःशक्तता की दशा में प्रतिकर का बीमा करने के लिए वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराएगा;

(ग) पोत स्वामी चिकित्सा देखभाल जिसके अंतर्गत चिकित्सा उपचार और आवश्यक ओषधियां और उपचारी साधित्रों का प्रदाय भी है, और घर से नौ-आरोहण और आवास जब तक रुग्णता या अक्षमता स्थायी प्रकृति की घोषित न कर दी गई हो, के खर्च करने के लिए दायी होगा; और

(घ) पोत स्वामी काम पर लगाए जाने की अवधि के दौरान फलक पर या तट पर कारित होने वाली मृत्यु के मामले में अंत्येष्टि खर्चों के लागत का संदाय करने का दायी होगा ।

(4) पोत परिवहन महानिदेशक उस अवधि के लिए जो क्षति या रुग्णता के प्रारंभ के दिन से छह सप्ताह से कम की नहीं होगी, चिकित्सा देखभाल, फलक और आवास के खर्चों को एक ऐसी अवधि, जो क्षति या रुग्णता के प्रारंभ के दिन से 16 सप्ताह से कम की नहीं होगी, के लिए उपगत करने के लिए पोत स्वामी के दायित्व को सीमित कर सकेगा ।

(5) जहां रुग्णता या क्षति का परिणाम कार्य करने की अक्षमता है, वहां पोत स्वामी,—

(क) पूर्ण मजदूरी संदाय करने का तब तक दायी होगा जब तक रुग्ण या क्षतिग्रस्त नाविक फलक पर रहते हैं या नाविकों को सामूहिक सौदा करार के अनुसार संप्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता है ;

(ख) तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार या उस समय से नाविकों के संप्रत्यावर्तित कर दिए जाने या उनके स्थल पर उतर जाने के समय से उनके स्वस्थ हो जाने तक या यदि इससे पूर्व हो तो उनके तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नकद फायदों के लिए हकदार होने तक हैं, सामूहिक करार में उपबंध किए गए अनुसार पूर्णतः या भागतः मजदूरियों का संदाय करने का दायी होगा ।

(6) पोत परिवहन महानिदेशक ऐसी अवधि के लिए, जो क्षति या रुग्णता के प्रारंभ के दिन से छह सप्ताह से कम की नहीं होगी, फलक पर नाविकों के संबंध पूर्णतया या भागतः मजदूरियों का संदाय करने के लिए पोत स्वामी के दायित्व को सीमित कर सकेगा ।

(7) पोत परिवहन महानिदेशक निम्नलिखित के संबंध में पोत स्वामी को दायित्व से अपवर्जित कर सकेगा—

(क) ऐसी क्षति, न कि रुग्णता, जो पोत की सेवा से भिन्न सेवा में हुई हो ; रुग्ण, क्षतिग्रस्त या मृत नाविकों के जानबूझकर किए गए कदाचार के कारण हुई क्षति या रुग्णता ; और

(ख) जब करार किया जाता है तब साशय छिपाई गई रुग्णता या अंग-शैथिल्य ।

(8) पोत परिवहन महानिदेशक पोत स्वामी को चिकित्सा देखभाल और फलक तथा आवास एवं अंत्येष्टि खर्चों को उपगत करने के दायित्व से जहां तक ऐसा दायित्व लोक प्राधिकारी द्वारा अपने हाथ में लिया जाता है, से छूट दे सकेगा ।

(9) पोत स्वामी या उसके प्रतिनिधि रुग्ण, क्षतिग्रस्त या मृत नाविकों द्वारा फलक पर छोड़ी गई संपत्ति की सुरक्षा करने के लिए और उसे उनको या उनके निकट संबंधियों को वापिस लौटाने के लिए उपाय करेगा ।

(10) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि संविदात्मक दावों के लिए उपनियम (3) के खंड (ख) में यथा उपबंधित प्रतिकर का बीमा करने की वित्तीय प्रतिभूति की प्रणाली निम्नलिखित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करती है, अर्थात् :-

(क) संविदात्मक प्रतिकर जैसा नाविक नियोजन करार में उपवर्णित है, उपनियम (10) के खंड (ग) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संदत्त किया जाएगा ;

(ख) संविदात्मक रकम से कम संदाय स्वीकार करने की कोई मांग नहीं की जाएगी ;

(ग) जब नाविकों की दीर्घकालिक निःशक्तता की प्रकृति ऐसे पूर्ण प्रतिकर का निर्धारण करना कठिन बनाती है, जिसके लिए नागरिक हकदार हो सकेगा, तब नाविकों को अंतरिम संदाय के लिए हकदार बनाएगी जिससे कि किसी अनुचित कठिनाई से बचा जा सके ;

(घ) नाविक अन्य विधिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार संदाय प्राप्त करेगी, किंतु ऐसा संदाय नाविकों द्वारा पोत स्वामी के विरुद्ध किए गए और उसी घटना से उद्भूत अन्य दावे के लिए किया जा सकेगा ;

(ड) संबद्ध प्रतिकर के लिए दावा सीधा संबद्ध नाविकों द्वारा या उनके निकट संबंधी या नाविकों के किसी प्रतिनिधि या पदाभिहित फायदाग्राही द्वारा लाया जा सकेगा ; और

(च) वित्तीय प्रतिभूति का साक्ष्य प्ररूप-2 के अनुसार होगा ।

(11) पोत स्वामी नाविकों को लिखित में सूचना दिए बिना वित्तीय प्रतिभूति को रद्द या समाप्त नहीं करेगा ।

(12) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय प्रतिभूति, वित्तीय प्रतिभूति के प्रदाता द्वारा पोत परिवहन महानिदेशक को कम से कम अग्रिम तीस दिन की सूचना दिए बिना वित्तीय प्रतिभूति के प्रदाता द्वारा रद्द या समाप्त नहीं की जाएगी ।

(13) (क) पोत स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि उसका पोत फलक पर प्रदाता द्वारा जारी वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाणपत्र या उसका अन्य दस्तावेजी साक्ष्य वहन करेगा और उसकी एक प्रति फलक पर, जहां वह नाविकों को उपलब्ध हो, सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी ;

(ख) जहां प्रदाता एक से अधिक वित्तीय प्रतिभूति कवर देता है वहां प्रत्येक प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया गया दस्तावेज फलक पर वहन किया जाएगा ।

(14) वित्तीय प्रतिभूति, वित्तीय प्रतिभूति की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति से पहले तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक कि वित्तीय प्रतिभूति प्रदाता ने ध्वज राज्य के सक्षम प्राधिकारी को कम से कम तीस दिन की पूर्व अधिसूचना न दे दी हो ।

(15) वित्तीय प्रतिभूति उसके द्वारा कवर किए गए ऐसे सभी संविदात्मक दावों, जो ऐसी अवधि के दौरान उदभूत होते हैं जिनके लिए दस्तावेज विधिमान्य है, के संदाय के लिए उपबंध करेगी ।

(16) वित्तीय प्रतिभूति का प्रमाणपत्र, अन्य दस्तावेजी साक्ष्य में प्ररूप-1 में वे निर्दिष्ट सूचना अंतर्विष्ट होगी और वह अंग्रेजी में होगी या उसका अंग्रेजी अनुवाद उसके साथ संलग्न होगा ।

(17) उपनियम (10) के प्रयोजनों के लिए पद "संविदात्मक दावा" से ऐसा कोई दावा अभिप्रेत है, जिसका संबंध उपजीविकाजन्य क्षति रुग्णता या परिसंकट, जैसा नाविक नियोजन करार या सामूहिक सौदा करार में उपवर्णित है, के कारण नाविकों की मृत्यु या दीर्घकालिक निःशक्तता से है ।

(18) उपनियम (10) में उपबंध किए गए अनुसार वित्तीय प्रतिभूति की प्रणाली सामाजिक सुरक्षा स्कीम या बीमा या निधि या अन्य वैसी ही व्यवस्था के रूप में हो सकेगी । वित्तीय प्रतिभूति का रूप पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संबद्ध पोत स्वामी और नाविकों के संगठन से परामर्श करने के पश्चात् अवधारित किया जाएगा ।

(19) पोत स्वामी इस नियम में निर्दिष्ट प्रतिकर से संबंधित संविदात्मक दावों को शीघ्र और उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करेगा, उन्हें निपटाएगा और निष्पक्ष रूप से उनका परिनिर्धारण करेगा ।

20. स्वास्थ्य और सुरक्षा संरक्षण तथा दुर्घटना निवारण— पोत परिवहन महानिदेशक उपजीविकाजन्य सुरक्षा के प्रबंध और पोत के फलक पर स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए समय-समय पर पृथक् मार्गदर्शी सिद्धांत विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

21. तट आधारित कल्याणकारी सुविधाओं तक पहुंच-- पोत परिवहन महानिदेशक पोतों पर नाविकों को समय-समय पर उपलब्ध कराने के लिए ऐसे पृथक् मार्गदर्शी सिद्धांत विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो पर्याप्त कल्याणकारी सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच वाले भारतीय पत्तनों में हैं ।

22. सामाजिक सुरक्षा—(1) सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संरक्षण की निम्नलिखित शाखाएं अंगीकृत की जाएंगी, अर्थात् :--

क) चिकित्सा देखरेख ;

ख) बीमारी संबंधी फायदे ;

ग) बेरोजगारी संबंधी फायदे ;

- घ) वृद्धावस्था संबंधी फायदें ;
- ङ) नियोजन में हुई क्षति संबंधी फायदें ;
- च) कुटुंब संबंधी फायदें ;
- छ) प्रतिसूति संबंधी फायदें ;
- ज) अविधिमान्य फायदें और उत्तरजीवी फायदें ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षा संरक्षण नियम 18 और नियम 19 के अधीन उपबंधित संरक्षण के अतिरिक्त होगी ।

(3) पोत परिवहन महानिदेशक भारतीय पोतों के फलक पर या अन्य ध्वज राज्य पोतों के फलक पर राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार पणधारी की समतुल्य स्कीमों के सहयोग से कार्यरत अपने सभी नाविकों के लिए प्रगामी रूप से सामाजिक सुरक्षा संरक्षण स्थापित करेगा ।

अध्याय 6

ध्वज, राज्य उत्तरदायित्व

23. समुद्री श्रम अभिसमय का कार्यान्वयन—(1) पोत परिवहन महानिदेशक,—

- (क) स्वयं या अभिसमय के उपबंधों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त संगठन के माध्यम से समुद्री श्रम दशाओं का निरीक्षण और प्रमाणन ;
- (ख) अभिसमय के उपबंधों का अनुपालन करते हुए समुद्री श्रम अनुपालन घोषणा के साथ-साथ अंतरिम या पूर्णकालिक समुद्री श्रम प्रमाणपत्र जारी करने या उसके पृष्ठांकन और नवीकरण ;

करने के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेगा ।

(2) पोत परिवहन महानिदेशक अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत मान्यताप्राप्त संगठनों की वर्तमान सूची अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय को उपलब्ध कराएगा और इस सूची को अद्यतन रखेगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची उन कृत्यों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनका पालन करने के लिए मान्यताप्राप्त संगठनों को प्राधिकृत किया गया है और यह सूची जनता को उपलब्ध कराई जाएगी ।

(4) पोत परिवहन महानिदेशक उन पोतों के, जो भारतीय ध्वज फहराते हैं, के निरीक्षणों के अभिलेखों को बनाए रखने की नीति विनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) पोत परिवहन महानिदेशक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे युक्तियुक्त समय, जो छह मास से अधिक का नहीं होगा, के भीतर ऐसे निरीक्षण के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा ।

24. समुद्री श्रम प्रमाणपत्र और समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा,—(1) पोत परिवहन महानिदेशक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी या संगठन समुद्री श्रम अभिसमय के अनुसार समुद्री श्रम प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(2) महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकारी या संगठन ऐसे पोत के संबंध में समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा जारी करेगा, जो समुद्री श्रम अभिसमय के उपबंधों में उपवर्णित अपेक्षाओं और मानकों पूरा करता है ।

(3) इस नियम के अंतर्गत आने वाले पोत नाविकों के लिए कार्य करने और रहन-सहन की दशाओं के लिए इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षाओं का उल्लेख करने वाले और संबद्ध पोत या पोतों पर अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पोत स्वामी द्वारा अपनाए गए उपायों को उपवर्णित करते हुए समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा को बहन करेंगे और उसे रखेंगे ।

(4) समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा क्रमशः दो भागों में होगी, भाग-1 और भाग-2 तथा प्ररूप-3 और प्ररूप-4 में होगी ।

(5) समुद्री श्रम प्रमाणपत्र प्ररूप-5 में अंतरिम आधार पर निम्नलिखित को जारी किया जा सकेगा :

- (क) परिदान पर नए पोतों को ; या
- (ख) उस समय पोत को जब वह ध्वज को बदलता है ; या
- (ग) उस समय जब पोत स्वामी पोत के प्रचालन के लिए उत्तरदायित्व लेता है, जो उस पोत स्वामी के लिए नया है ।

(6) ऐसा अंतरिम समुद्री श्रम प्रमाणपत्र सत्यापन के पश्चात् छह मास से अनधिक की अवधि के लिए पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त संगठन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकेगा कि—

- (क) पोत का, जहां तक प्ररूप-6 में सूचीबद्ध विषयों के लिए युक्तियुक्त और साध्य हो, निरीक्षण किया गया है ;
- (ख) पोत स्वामी ने पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त संगठन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रदर्शन किया है कि पोत इस नियम का पालन करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं रखता है ;
- (ग) मास्टर इन नियमों की अपेक्षाओं और उनके कार्यान्वयन संबंधी उत्तरदायित्वों से अवगत है ; और
- (घ) सुसंगत जानकारी पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा मान्यताप्राप्त संगठन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा प्रस्तुत करने के लिए दे दी है ।

(7) इस नियम के अंतर्गत आने वाले पोतों को पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्ररूप 7 में समुद्री पोत पर नाविकों के कार्यकरण और जीवन की परिस्थितियों, जिनमें उपनियम (3) में निर्दिष्ट समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा में सम्मिलित किए जाने वाले चालू अनुपालन संबंधी अध्युपाय भी हैं का निरीक्षण कर लिया गया है ।

25. निरीक्षण और प्रवर्तन:- (1) पोत परिवहन महानिदेशक यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षणों, मानीटरी और अन्य नियंत्रण उपायों का एक प्रभावी तथा समन्वित प्रणाली स्थापित करेगा कि ऐसे पोत जिनको यह नियम लागू होते हैं इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं ।

(2) पोत परिवहन महानिदेशक ऐसे पोतों पर, नाविकों, जिनको यह नियम लागू होता है, के लिए दशाओं के निरीक्षण की प्रणाली बनाए रखेगा जिनके अंतर्गत ऐसा सत्यापन होगा कि समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा में यथा उपबंधित कार्यकरण और जीवन की परिस्थितियों से संबंधी उपायों का पालन किया जा रहा है और इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है ।

(3) यदि पोत परिवहन महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी कोई ऐसी शिकायत प्राप्त करता है जिसे वह स्पष्ट रूप से निराधार नहीं समझता है और यह साक्ष्य अभिप्राप्त करता है कि ऐसा पोत जिसको यह नियम लागू होते हैं इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं या समुद्री श्रम अनुपालन की घोषणा में उपवर्णित उपायों के कार्यान्वयन में गंभीर खामियां हैं, पोत परिवहन महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी विषय का अन्वेषण करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पाई गई किसी खामियों का उपचार करने के लिए कार्रवाई की जाती है ।

(4) पोत परिवहन महानिदेशक निरीक्षण प्राधिकारी को निष्पादित किए जानेवाले कार्यों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकेगा और उन्हें:

- (क) किसी ऐसे पोत जो भारतीय ध्वज फहराता है, पर चढ़ने के लिए;
- (ख) कोई ऐसी परीक्षा, परीक्षण या जांच, जिसे वे स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे कि मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, करने के लिए; और
- (ग) यह अपेक्षा करने के लिए कि किसी भी खामी का उपचार कर दिया गया है और जहां उनके पास यह विश्वास करने का आधार है कि जहां ये खामियां इन नियमों की अपेक्षाओं के गंभीर भंग को गठित करती हैं जिनके अंतर्गत नाविकों के अधिकार

भी हैं, या नाविकों की रक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा को विशिष्ट खतरे को व्यपदिष्ट करती हैं, पोत को पत्तन को तब तक छोड़ने तक जब तक कि आवश्यक उपचारी कार्रवाइयां नहीं कर ली जाती हैं प्रतिषिद्ध करने के लिए सशक्त करेगा।

(5) उपनियम (4) के खंड (ग) के अनुसरण में की गई कार्रवाई ऐसे प्रशासनिक प्राधिकारी जो पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, को की गई अपील के अधिकार के अधीन होगी।

26. फलक पर परिवाद पद्धतियां- भारतीय ध्वज पोत फलक पर निम्नलिखित परिवाद पद्धतियां अपनाएगा :-

(1) भारतीय ध्वज पोत के फलक पर सेवारत कोई व्यथित नाविक यथासाध्य शीघ्रता से फलक पर (डैक या इंजन) अपने विभागाध्यक्ष को लिखित परिवाद प्रस्तुत करेगा जिसे तुरंत और औपचारिक रूप से संबद्ध नाविक के विभागाध्यक्ष द्वारा अभिस्वीकृत कर लिया जाएगा।

(2) यदि विभागाध्यक्ष ऐसे परिवाद की प्राप्ति के तीन दिन की विहित समय सीमा के भीतर नाविक के समाधानप्रद रूप में नाविक की शिकायत का समाधान नहीं कर सकता है तो विभागाध्यक्ष उसे पोत के मास्टर को निर्दिष्ट करेगा जो विषय को व्यक्तिगत रूप से देखेगा और परिवाद की प्राप्ति के सात दिन के भीतर मुद्दे का निपटान करेगा।

(3) नाविक को, सभी समयों पर शिकायत करते समय या उस पर अनुवर्ती कार्य के लिए संबद्ध पोत के फलक पर अपनी इच्छा के अनुसार किसी अन्य नाविक के साथ जाने या उसके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का सुस्पष्ट अधिकार प्राप्त होगा।

(4) सभी परिवाद और परिवाद पर विनिश्चय शासकीय अभिलेख पुस्तिका में अभिलिखित किए जाएंगे और प्रत्येक मामले में किए गए विनिश्चय की एक प्रति उक्त मुद्दे का समाधान करने वाले प्राधिकारी द्वारा संबद्ध नाविक को उपलब्ध कराई जाएगी। सभी परिवादों और प्रत्येक परिवाद पर की गई कार्रवाइयों का एक उचित दस्तावेजी अभिलेख फलक पर रखा जाएगा और परिवाद की प्राप्ति के कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

(5) यदि जलयान का मास्टर फलक पर परिवाद का समाधान नहीं कर सकता है तो वह नाविक को तुरंत सम्यक् सूचना देते हुए उस पर संबद्ध पोत स्वामी के साथ चर्चा करेगा। पोत स्वामी अविलंब किंतु परिवाद की प्राप्ति के एक मास की अधिकतम अवधि के भीतर न की उसके पश्चात् मामले का समाधान करेगा नाविक के परिवादों का समाधान करने के लिए पोत के संपर्क ब्यौरे जलयान के मास्टर द्वारा फलक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पोत स्वामी परिवाद का समाधान करने में ऐसी समिति की सहायता लेगा जो उसके द्वारा गठित की जाए, जिसमें नाविक संघ भी सम्मिलित होगा।

(6) यदि नाविक के परिवार का समाधान एक मास के भीतर भर्ती तथा नियोजन सेवा या पोत स्वामी, जिसके अंतर्गत नाविक संघ द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली समिति भी है, नहीं किया जाता है तो नाविक को शिकायत निवारण तंत्र, जो समय समय पर महानिदेशक द्वारा जारी किया जाए, के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के पास पहुंचने का अधिकार होगा। प्राधिकरण के पास इस प्रकार रजिस्टर किए गए परिवाद में ऊपर उल्लिखित किए गए अनुसार उसके सभी वरिष्ठ अधिकारियों, जिसके अंतर्गत भर्ती और नियोजन सेवा या पोत स्वामी या संघ (यदि कोई हों) भी हैं को नाविक द्वारा किए गए परिवाद की प्रतियां और उनके द्वारा उसके दिए गए उत्तर यदि कोई हों, अंतर्विष्ट होंगे।

(7) समुद्री यात्रा के दौरान विदेशी पोत पर आह्वान करने वाला जलयान के फलक पर नाविक को समुद्री श्रम अभिसमय, 2006 जिसके अंतर्गत नाविकों के अधिकार भी हैं, के अपेक्षा के भंग का अभिकथन करने वाले अपने परिवाद की पृथक् रूप से जिसके अंतर्गत समुद्री श्रम अभिसमय तट पर नाविकों की पद्धतियों पर कार्रवाई करने संबंधी शिकायत के अधीन उस पत्तन पर प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

(8) ऐसे सभी मामलों में नाविकों को मास्टर या भर्ती तथा नियोजन सेवा प्रदाता या पोत स्वामी या किसी अन्य विधिक अस्तित्व जिन्हें नाविक इस प्रयोजन के लिए समुचित समझें, के पास शीघ्र अपने परिवान करने का भी अधिकार होगा।

27. पत्तन, राज्य निरीक्षण- पोत परिवहन महानिदेशक अपने पत्तन राज्य उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अभिसमय की अपेक्षानुसार निरीक्षण के लिए पद्धति स्थापित करेगा।

28. तट पर नाविक परिवाद –कार्रवाई पद्धतियां- (1) तट पर शिकायत निवारण प्रक्रिया ऐसे संबद्ध पोत स्वामियों और नाविकों के संगठनों, नाविक नियोजन करार में जो यथा परिलक्षित सामूहिक सौदा करार के पक्षकार हैं, जहां लागू हों, के परामर्श से पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सभी भारतीय पत्तनों में लागू होगी।

(2) पोत परिवहन महानिदेशक परिवाद करने वालो नाविकों की गोपनीयता की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

प्रपत्र -1

[नियम 12 देखें]

वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण

नियम 12 के उप नियम (13) के अंतर्गत अपेक्षित वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रलेखीय प्रमाण में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी, जो है :-

(ए) पोत का नाम

(बी) पोत के पंजीयन का पत्तन

(सी) पोत का कॉल साइन

(डी) पोत की अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन संख्या

(ई) वित्तीय सुरक्षा प्रदाता या प्रदाताओं का नाम और पता

(एफ) समुद्रकर्मियों के संविदागत दावों को देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या संस्था के संपर्क विवरण

(जी) पोत के स्वामी का नाम

(एच) वित्तीय सुरक्षा की मान्यता अवधि; और

(आई) वित्तीय सुरक्षा प्रदाता से इस बात का सत्यापन की नियम 12 की अपेक्षाओं पर वित्तीय सुरक्षा खरी उतरती है.

प्रपत्र -2

[नियम 19 देखें]

वित्तीय सुरक्षा का प्रमाण

नियम 19 के उप नियम (10एफ) के अंतर्गत अपेक्षित वित्तीय सुरक्षा के प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रलेखीय प्रमाण में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी, जो है :-

(ए) पोत का नाम

(बी) पोत के पंजीयन का पत्तन

(सी) पोत का कॉल साइन

(डी) पोत की अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन संख्या

(ई) वित्तीय सुरक्षा प्रदाता या प्रदाताओं का नाम और पता

(एफ) समुद्रकर्मियों के संविदागत दावों को देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या संस्था के संपर्क विवरण

(जी) पोत के स्वामी का नाम

(एच) वित्तीय सुरक्षा की मान्यता अवधि; और

(आई) वित्तीय सुरक्षा प्रदाता से इस बात का सत्यापन की नियम 19 की अपेक्षाओं पर वित्तीय सुरक्षा खरी उतरती है.

प्रपत्र -3

[नियम 24(5) देखें]

समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा- भाग-1**(नोट : यह घोषणा आवश्यक रूप से पोत के समुद्रीय श्रम प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाए)**

नौवहन महानिदेशक के प्राधिकार के अंतर्गत जारी किया गया.

समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 के प्रावधानों के संबंध में निम्नोक्त पोतों हेतु :-

पोत का नाम	आईएमओ नं.	सकल टनभार

नियम 24 के प्रावधानों के अनुसरण में इसे रखा गया है.

उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी की ओर से अधोहस्ताक्षरी घोषित करता है कि:-

(ए) नीचे दी गई अपेक्षाओं में समुद्रीय श्रम कन्वेंशन का प्रावधान पूरी तरह से निहित है :

(बी) नीचे दिए गए प्रावधानों में ये अपेक्षाएं निहित हैं; जहां आवश्यक है वहां पर उन प्रावधानों के निहितार्थ से संबंधित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;

(सी) कन्वेंशन के अनुच्छेद 6, परिच्छेद 3 और 4 के अंतर्गत हर महत्वपूर्ण समानता का विवरण इस प्रयोजनार्थ नीचे दिए खंड में निम्नोक्त सूचीबद्ध समरूपी अपेक्षा के अंतर्गत दिया गया है. (जो वक्तव्य प्रयोजनीय न हो उसे काट दें);

(डी) नियम (16 और (17) के अंतर्गत जो भी छूट दी गई है उसे इस प्रयोजनार्थ नीचे दिए गए खंड में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें; और

(ई) राष्ट्रीय विधान के अंतर्गत हर पोत-प्रकार की विशिष्ट अपेक्षाएं भी संबंधित अपेक्षा के अंतर्गत दी गई हैं.

(1) न्यूनतम आयु (नियम 4)

(2) चिकित्सा प्रमाणन (नियम 5)

(3) समुद्रकर्मियों की योग्यता (नियम 6)

(4) समुद्रकर्मियों का नियोजन करार (नियम 8)

(5) किसी अनुज्ञप्त या प्रमाणीकृत या विनियमित निजी नियोजन और भर्ती सेवा का प्रयोग (नियम 7)

(6) कार्य या आराम के घंटे (नियम 10)

(7) पोत के लिए जनसंयोजन स्तर (नियम 14)

(8) आवास (नियम 16)

(9) पोतस्थ मनोरंजन सुविधाएं (नियम 16)

(10) खाद्य और खानपान (नियम 17)

(11) स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा दुर्घटना की रोकथाम (नियम 18)

(12) पोतस्थ चिकित्सकीय देखरेख (नियम 18)

(13) पोतस्थ शिकायत प्रक्रियाएं (नियम 26)

(14) मजदूरी का भुगतान (नियम 9)

नाम :

टाइटल :

हस्ताक्षर :

स्थान :

दिनांक :

(प्राधिकारी की सील या मोहर)

महत्वपूर्ण समानताएं**(नोट : जो वक्तव्य प्रयोजनीय नहीं है उसे काट दें)**

उपर्युक्त को छोड़कर, कन्वेंशन के अनुच्छेद VI परिच्छेद 3 और 4 के अंतर्गत दिए अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण समानताओं को नोट कर लिया गया है. (यदि प्रयोजनीय है तो विवरण दें):
कोई समानता संस्वीकृत नहीं की गई

नाम :

टाइटल :

हस्ताक्षर :

स्थान :

दिनांक :

(प्राधिकारी की सील या मोहर)

छूट**(नोट : जो वक्तव्य प्रयोजनीय नहीं है उसे काट दें)**

निम्नोक्त छूटे सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत की गई जिन्हें नोट किया गया :
कोई छूट संस्वीकृत नहीं की गई

नाम :

नियम :

हस्ताक्षर :

स्थान :

दिनांक :

(प्राधिकारी की सील या मोहर)

प्रपत्र -4

[नियम 24(5) देखें]

समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा भाग-II

निरीक्षणों बीच सतत् अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपाय

निम्नलिखित उपायों का खाका पोत स्वामी द्वारा तैयार किया गया, जिसका नाम समुद्रीय श्रम प्रमाण पत्र में लिखा है जिससे यह घोषणा संलग्न है कि निरीक्षणों के बीच सतत् रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा :

(भाग-I की हर मद का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरूपित किए गए उपाय नीचे लिखें)

- (1) न्यूनतम आयु (नियम 4)
- (2) चिकित्सा प्रमाणन (नियम 5)
- (3) समुद्रकर्मियों की योग्यता (नियम 6)
- (4) समुद्रकर्मियों का नियोजन करार (नियम 8)
- (5) किसी अनुज्ञप्त या प्रमाणीकृत या विनियमित निजी नियोजन और भर्ती सेवा का प्रयोग (नियम 7)
- (6) कार्य या आराम के घंटे (नियम 10)
- (7) पोत के लिए जनसंयोजन स्तर (नियम 14)
- (8) आवास (नियम 16)
- (9) पोतस्थ मनोरंजन सुविधाएं (नियम 16)
- (10) खाद्य और खानपान (नियम 17)
- (11) स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा दुर्घटना की रोकथाम (नियम 18)
- (12) पोतस्थ चिकित्सकीय देखरेख (नियम 18)
- (13) पोतस्थ शिकायत प्रक्रियाएं (नियम 26)
- (14) मजदूरी का भुगतान (नियम 9)

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि ये उपाय इसलिए बनाए गए हैं ताकि भाग-I में सूचीबद्ध अपेक्षा से संबंधित निरीक्षणों के बीच सतत् रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

पोत के स्वामी का नाम :

कंपनी का पता :

टाइटल :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

दिनांक :

(पोत स्वामी की मोहर या सील)

उपर्युक्त उपायों की समीक्षा (सक्षम प्राधिकारी या विधिवत् मान्यता संगठन का नाम लिखें) द्वारा कर ली गई है और पोत का निरीक्षण करने के उपरांत यह पाया गया है कि इस घोषणा के भाग-I में दी गई अपेक्षाओं का आरंभिक और सतत् अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपायों के संबंध में नियम 24 के अंतर्गत निहित प्रयोजन पर ये खरा उतरता है.

नाम :

नियम :

हस्ताक्षर :

स्थान :

दिनांक :

(समुचित प्राधिकारी की सील या मोहर)

प्रपत्र -5

[नियम 24(6) देखें]

अंतरिम समुद्रीय श्रम प्रमाण पत्र

(जारी करने वाले प्राधिकारी का पूरा पदनाम)

.....द्वारा
(प्राधिकारी का पूरा पदनाम और पता या विधिवत् प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संगठन)
पोत का विवरण

पोत का नाम :

विशिष्ट संख्या या अक्षर :

पंजीयन का पत्तन :

पंजीयन की तारीख :

सकल टनभार :

अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन नं. :

पोत का प्रकार :

पोत के स्वामी का नाम और पता :

नियम 24 के प्रयोजनार्थ यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(ए) निम्नोक्त (बी) (सी) और (डी) के अंतर्गत मदों के सत्यापन को दृष्टिगत रखते हुए इन नियमों के प्रपत्र 5 में सूचीबद्ध मामलों हेतु यथोचित तथा यथा व्यवहारिक दृष्टि से पोत का निरीक्षण कर लिया गया है;

(बी) पोत के स्वामी ने सक्षम प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त संगठन को यह दर्शाया है कि इन नियमों की अनुपालना हेतु पोत में पर्याप्त प्रक्रियाएं निहित हैं;

(सी) मास्टर इन नियमों की अपेक्षाओं को और इनके कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायित्वों को जानता समझता है; और

(डी) समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी मान्यता प्राप्त संगठन को संगत सूचना दे दी गई है।

नियम 24 और 25 के अनुसरण में निरीक्षण की शर्त पर यह प्रमाण पत्र.....तक मान्य है।

उपर्युक्त (ए) के अंतर्गत दिए गए निरीक्षण के पूरा होने की तिथिथी।

.....मेंको जारी किया गया।

अंतरिम प्रमाण पत्र जारी करने वाले विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(यथोचित रूप से जारी करने वाले अधिकारी के सील या मोहर)

प्रपत्र -6

[नियम 24(7) (ए) देखें]

निम्नोक्त रूप से पोत नियम 24 के अनुसार है इस बात को प्रमाणित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा समुद्रकर्मियों की कार्य करने और रहने की स्थितियों निरीक्षण और अनुमोदन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(1) न्यूनतम आयु

(2) चिकित्सा प्रमाणन

(3) समुद्रकर्मियों की योग्यता

(4) समुद्रकर्मियों का नियोजन करार

(5) किसी अनुज्ञप्त या प्रमाणीकृत या विनियमित निजी नियोजन और भर्ती सेवा का प्रयोग

- (6) कार्य या आराम के घंटे
- (7) पोत के लिए जनसंयोजन स्तर
- (8) आवास
- (9) पोतस्थ मनोरंजन सुविधाएं
- (10) खाद्य और खानपान
- (11) स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा दुर्घटना की रोकथाम
- (12) पोतस्थ चिकित्सकीय देखरेख
- (13) पोतस्थ शिकायत प्रक्रियाएं
- (14) मजदूरी का भुगतान

प्रपत्र -7

[नियम 24(7) देखें]

समुद्रीय श्रम प्रमाण पत्र

(नोट : इस प्रमाण पत्र के साथ समुद्रीय श्रम अनुपालन घोषणा संलग्न होगी)

.....
(जारीकर्ता प्राधिकारी का पूरा पदनाम)

.....द्वारा

(प्राधिकारी का पूरा पदनाम और पता या नियमों के प्रावधान के अंतर्गत विधिवत् प्राधिकृत मान्यता प्राप्त संगठन)

पोत का विवरण :

पोत का नाम :

विशिष्ट संख्या या अक्षर :

पंजीयन का पत्तन :

पंजीयन की तारीख :

सकल टनभार :

अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का नं. :

पोत का प्रकार :

पोत स्वामी का नाम और पता :

* आईएमओ द्वारा अंगीकृत टनभार मापन अंतरिम स्कीम द्वारा कवर पोतों के लिए, सकल टनभार वह होगा जो अंतरराष्ट्रीय टनभार प्रमाण पत्र (1969) के अभ्युक्तियां स्तंभ में शामिल हैं. कन्वेंशन का अनुच्छेद II (1) (सी) देखें।

यह प्रमाणित किया जाता है :-

1. कि - इस पोत का निरीक्षण कर लिया गया है और सत्यापित किया गया है कि यह कन्वेंशन की अपेक्षाओं का तथा संलग्न समुद्रीय श्रम का अनुपालन की घोषणा के प्रावधान का पालन करता है।

2. कि - प्रपत्र 6 में विनिर्दिष्ट कार्य करने और रहने संबंधी समुद्रकर्मियों की स्थिति उपर्युक्त देश की अपेक्षा के अनुसार कन्वेंशन को कार्यान्वित किए जाने के अनुरूप पाई गई. ये राष्ट्रीय अपेक्षाएं समुद्रीय श्रम अनुपालन की घोषणा के भाग-1 में संक्षेप में दी गई हैं।

नियम 24 और 25 के अनुसरण में निरीक्षण की शर्त पर यह प्रमाण पत्रतक मान्य है।

यह प्रमाण पत्र तभी मान्य है जबमेंको जारी की गई समुद्रीय श्रम अनुपालन घोषणा इसके साथ संलग्न हो।

.....में.....को जारी किए गए, पर आधारित इस प्रमाण पत्र से संबंधित निरीक्षण समापन की तारीखहै।

प्रमाण पत्र जारी करने वाले विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(जारी करने वाले यथोचित प्राधिकारी की सील या मोहर)

अनिवार्य अंतरवर्ती निरीक्षण हेतु पृष्ठांकन और यदि अपेक्षित हो तो कोई अतिरिक्त निरीक्षण

यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 25 के प्रावधानों के अनुसरण में पोत का निरीक्षण किया गया और यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियम में विनिर्दिष्ट समुद्रकर्मियों के कार्य करने और रहने की स्थितियां अपेक्षा के अनुरूप पाई गई :

हस्ताक्षरित

(दूसरी और तीसरी वर्षगांठ तारीखों के बीच इसे पूरा किया जाए)

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

(यथोचित प्राधिकारी की सील और मोहर)

अतिरिक्त पृष्ठांकन (यदि अपेक्षित हो तो)

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस बात को सत्यापित करने के लिए पोत का अतिरिक्त निरीक्षण किया गया कि क्या पोत निरंतर रूप से नियम 16 के उप नियम (3) द्वारा यथापेक्षित रूप से (पुनः पंजीकरण या आवास में भारी परिवर्तन) या फिर किन्हीं अन्य कारणों से यथापेक्षित रूप से कन्वेंशन को क्रियान्वित करने का सतत रूप से अनुपालन कर रहा है या नहीं।

अतिरिक्त निरीक्षण

(यदि अपेक्षित हो तो)

हस्ताक्षरित

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

(यथोचित प्राधिकारी की सील या मोहर)

अतिरिक्त निरीक्षण

(यदि अपेक्षित हो तो)

हस्ताक्षरित

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

(यथोचित प्राधिकारी की सील या मोहर)

अतिरिक्त निरीक्षण
(यदि अपेक्षित हो तो)

हस्ताक्षरित

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

(यथोचित प्राधिकारी की सील या मोहर)

[फा. सं. एसआर-23011/3/2015]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th February, 2016

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by section 218A read with section 457 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government, having regard to the provisions of the Maritime Labour Convention, and in consultation with such organisations in India to be the representative of the employers of seamen and of seamen, hereby makes the following rules, namely :-

CHAPTER I**Preliminary**

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Maritime Labour) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability.— These rules shall apply to all seafarers working on all Indian flag ships engaged in commercial activities, but does not apply to —

(a) ships which navigate exclusively in inland waters or waters within, or closely adjacent to, sheltered waters or areas where any law for the time being in force relating to ports apply;

(b) ships engaged in fishing activities; (c) traditionally built ships such as dhows and junks; and

(d) ships of war or naval auxiliaries.

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

- (b) “collective bargaining agreement” means an agreement signed, from time to time, between the seafarers’ trade unions and the Indian ship owners for an employment of seafarers on board Indian flag ships;
- (c) “Form” means the Form annexed to these rules;
- (d) “gross tonnage” means the measure of the overall size of a ship determined in accordance with Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987;
- (e) “international voyage” means a voyage from a country to a port outside such a country or from a port or between two ports in a country outside India;
- (f) “recognised organisations” means a person or body of persons authorised by the Director General of Shipping for the purpose of implementation of these rules;
- (g) “recruitment and placement service” means any person, company, institution, agency or other organisation, in the public or private sector, which is engaged in recruiting seafarers on behalf of employers or placing seafarers with employers;
- (h) “seafarers’ employment agreement” includes—
 - i. a contract of employment;
 - ii. articles of agreement;
- (i) “ship owner” includes another organisation or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on ship owners in accordance with the maritime labour convention, regardless of whether any other organisations or persons fulfil certain duties or responsibilities on behalf of the ship owner;
- (j) “specified” means specified by the Director General of Shipping through a Merchant Shipping Notice.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER II

Minimum requirements for seafarers to work on ships.

4. Minimum age. — No person below the age of sixteen years shall be employed or engaged to work on a ship subject to such restrictions regarding night work, health and safety or any other hazardous work as may be notified by the Director General of Shipping with the approval of Central Government from time to time.

5. Medical fitness certificate. — No person shall be engaged as seafarer unless he is certified as medically fit and holds a medical fitness certificate as provided under the Act.

6. Training and qualification. — (1) The ship owner shall ensure that the seafarers shall not work on a ship unless they are trained or certified as competent or otherwise qualified to perform their duties.

(2) The ship owner shall ensure that the seafarers shall not be permitted to work on a ship unless they have successfully completed training for personal safety on board ship.

(3) For the purpose of sub-rules (1) and (2), the Director General of Shipping shall specify the training and certification taking into account the mandatory instruments adopted by the International Maritime Organisation.

7. Recruitment and Placement — Recruitment and placement of Indian seafarers shall be in accordance with the rules made under the Merchant Shipping Act, 1958.

CHAPTER III**Conditions of employment**

8. Seafarers' employment agreements.— (1) Every Indian flag ship shall comply with the following requirements regarding seafarers' employment agreement, namely:-

- (a) seafarers working on Indian flag ships shall have a seafarers' employment agreement signed by both the seafarer and the ship owner or a representative of the ship owner or where they are not employees, evidence of contractual or similar arrangements providing them with decent working and living conditions on board the ship as required by the Act and the rules made thereunder;
- (b) seafarers signing a seafarers' employment agreement shall be given an opportunity to examine and seek advice on the agreement before signing, and such other facilities as are necessary to ensure that they have freely entered into an agreement with a sufficient understanding of their rights and responsibilities;
- (c) the ship owner and seafarer concerned shall each have a signed original of the seafarers' employment agreement;
- (d) the ship owner shall ensure that clear information as to the conditions of the employment is easily obtained on board by seafarers, including the master of the ship and that such information including a copy of the seafarers' employment agreement is accessible to the Director General of Shipping or any other entity so notified including port state authorities in ports to be visited;
- (e) at the end of, or termination of, contract, every seafarer's continuous discharge certificate shall be endorsed with record of employment on board the ship.

(2) Where a collective bargaining agreement in full or part forms part of a seafarers' employment agreement, a copy of that agreement shall be made available on board.

(3) The seafarers' employment agreement and any applicable collective bargaining agreement shall be in English.

(4) The ship owner or its licensed recruitment and placement service provider shall file the articles of agreement signed with the seafarer to the shipping master or other related authority within the time limit as specified by the Director General of Shipping.

(5) Seafarers' employment agreements shall in all cases contain the following particulars, *inter-alia*, namely:-

- a) the seafarers' full name, date of birth, age and place of birth;
- b) the name and address of the ship owner;
- c) the place where and date when the seafarers' employment agreement is entered into;
- d) the capacity in which the seafarer is to be employed;
- e) the amount of the wages of the seafarers or, where applicable, the formula used for calculating them;
- f) the amount of paid annual leave or, where applicable, the formula used for calculating it;
- g) the termination of the agreement and the conditions thereof, including,—
 - (i) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions entitling either party to terminate it, the required period of notice, which shall not be less for the ship owner than for the seafarer;
 - (ii) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry; and
 - (iii) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to expire after arrival before the seafarer should be discharged;
- (h) the health and social security protection to be provided to the seafarer by the ship owner;

- (i) the seafarers' entitlement to repatriation;
- (j) reference to the collective bargaining agreement, if applicable; and
- (k) any other particulars or the format as may be specified by the Director General of Shipping, in consultation with the representatives of ship owners and the seafarers;

(6) The minimum period of notice to be given by the seafarers and ship owners for the early termination of a seafarers' employment agreement shall be in accordance with the collective bargaining agreement or seafarer employment agreement, but in any case shall not be shorter than seven days.

(7) A period of notice shorter than the minimum period as in sub-rule (6) may be given in circumstances which are recognised under the applicable collective bargaining agreements as justifying termination of the employment agreement at shorter notice or without notice and in determining these circumstances, it shall be ensured by the ship owner that the need of the seafarer to terminate, without penalty, the employment agreement on shorter notice or without notice for compassionate or other urgent reasons is taken into account.

(8) Seafarers' entitlement for compensation from the ship owner in case of injury, loss or unemployment arising from loss of the ship or foundering shall be specified in the collective bargaining agreement or the Seafarers' Employment Agreement.

9. Wages.— (1) The ship owner shall make payments due to seafarers working on board their ships at no greater than monthly intervals:

Provided that in case of any collective bargaining agreement for the wages as mentioned in sub-rule (1), the same shall be paid as per the agreement at no greater than monthly intervals.

(2) The ship owner shall ensure that seafarers are given a monthly account of the payments due and the amounts paid, including wages, additional payments and the rate of exchange used where payment has been made in foreign currency.

(3) The ship owner shall take measures to provide seafarers with a means to transmit all or part of their earnings to their families or dependents or legal beneficiaries.

(4) The ship owner shall formulate measures to ensure that seafarers are able to transmit their earnings to their families which include:-

- (a) a system for enabling seafarers, at the time of their entering employment or during it, to allot, if they so desire, a proportion of their wages for remittance at regular intervals to their families by bank transfers or similar means;
- (b) a requirement that allotments shall be remitted in due time and directly to the person or persons nominated by the seafarers;
- (c) any charge for the service under sub-rule (3) and clauses (a) and (b) of sub-rule (4) shall be reasonable in amount, and unless otherwise provided the rate of currency exchange shall be at the prevailing market rate or the official rate prescribed by the Reserve Bank of India and not be unfavourable to the seafarer.

(5) The wages included in the collective bargaining agreement or the Seafarers' Employment Agreement shall be in accordance with the guidelines as laid down in the Maritime Labour Convention.

10. Hours of work and rest.— (1) For the purpose of these rules, the term.-

- (a) "hours of work" means time during which seafarers are required to do work on account of the ship;
- (b) "hours of rest" means time outside the hours of work but does not include short breaks or meal breaks up to one hour during the hours of work.

(2) The normal working hours standard for seafarers shall not exceed an eight-hour day with one-day rest per week and rest on public holidays as per collective bargaining agreement or seafarers' employment agreement.

- (3) The ship owner shall adopt minimum hours of the rest which shall be,-
- (i) not less than ten hours in any twenty-four hour period; and
 - (ii) not less than seventy-seven hours in total for a period of seven days in different spells.
- (4) Minimum ten hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in length and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed fourteen hours.
- (5) Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills provided by the Act and rules made thereunder and by the International instruments shall be conducted in a manner that minimises the disturbance of rest period and does not induce fatigue.
- (6) When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an adequate compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs to work.
- (7) If no collective bargaining agreement or arbitration award exists or if the Director General of Shipping determines that the provisions in the agreement or award in respect of sub-rule (5) or sub-rule (6) are inadequate, the Director General of Shipping may specify such provisions to ensure the seafarers concerned to have sufficient rest.
- (8) The ship owner shall ensure the posting, in an easily accessible place, of a table with the shipboard working arrangements, which shall contain for every position at least.—
- (a) the schedule of service at sea and service in port; and
 - (b) the minimum hours of rest as agreed upon within the frame-work of the applicable collective bargaining agreements.
- (9) The table referred to in sub-rule (8) shall be established in a standardised format as specified by the Director General of Shipping in the working language or languages of the ship and in English.
- (10) The ship owner shall maintain records of seafarers' daily hours of rest to allow monitoring of compliance with the provision of sub-rules (3) to (9).
- (11) The records shall be in a standardised format specified by the Director General of Shipping taking into account any available guidelines of the International Labour Organisation and the format shall be in any standard format prepared by the Organisation in the languages required by sub-rule (9).
- (12) Copy of the records pertaining to the seafarers shall be endorsed by the master or a person authorised by the master.
- (13) (a) Nothing contained in this rule shall prevent the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea;
- (b) In accordance with the provisions of clause (a), the master may suspend the schedule of hours of work or hours of rest and require a seafarer to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored;
- (c) As soon as practicable, after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.
- (14) (a) relaxations from the required hours of rest under sub-rule (3) and sub-rule (4) may be allowed for not more than two consecutive weeks provided that the rest period is not less than seventy hours in any seven day period, and the interval between two periods of relaxation on board shall not be less than twice the duration of the relaxation;
- (b) the ten hours of rest in a twenty four hour period provided during the relaxation may be divided into no more than three periods, one of which shall be at least six hours in length, and the said periods shall not be less than one hour in length;
- (c) Interval between consecutive periods of rest shall not exceed fourteen hours: Provided that no relaxation shall be made for duty beyond twenty four hour in any seven day period.

11. Entitlement to Leave. - (1) The ship owner shall establish the following operational parameters and practices to ensure that seafarers are provided with the adequate leave, namely:-

- (a) seafarers employed on ships shall be given paid annual leave of at least 2.5 calendar days per month of employment or pro rata;
- (b) seafarers shall be granted shore leave of adequate period to safe-guard their health and well-being and with the operational requirements of their positions.

(2) Any agreement to forgo the minimum annual leave with pay specified in this rule, except in cases provided for by the Director General of Shipping, shall be prohibited; provided that, the division of annual leave into parts, or the accumulation of such annual leave due in respect of one year together with a subsequent period of leave is authorised subject to mutual agreement between the ship owner and the seafarer concerned.

12. Repatriation. - (1) The ship owner shall provide financial security in the manner as specified by Director General of Shipping, to ensure that seafarers are duly repatriated in accordance with the provisions of this rule.

(2) The ship owner shall ensure that seafarer on their ships are repatriated in the following circumstances without any cost to the seafarers, namely:-

- a) if the seafarers' employment agreement expires ;
- b) when the seafarers' employment agreement is terminated-
 - i. by the ship owner; or
 - ii. by the seafarer;

for justified reasons, as per collective bargaining agreement/seafarer employment agreement; and also

- (c) when the seafarers are no longer able to carry out their duties under their employment agreement or cannot be expected to carry them out in the specific circumstances, as per collective bargaining agreement/seafarer employment agreement;
- (d) on compassionate grounds as per collective bargaining agreement/seafarer employment agreement;
- (e) in the event of their abandonment.

Explanation. - For the purposes of this clause, a seafarer shall be deemed to have been abandoned where, in violation of the requirements of the Act or these rules or the terms of the seafarers' employment agreement, the ship owner:-

- (a) fails to cover the cost of the seafarer's repatriation; or
- (b) has left the seafarer without the necessary maintenance and support (including adequate food, accommodation, drinking water supplies, essential fuel for survival on board the ship and necessary medical care); or
- (c) has otherwise unilaterally severed their ties with the seafarer including failure to pay contractual wages for a period of at least two months.

(3) The ship owner shall ensure that there are appropriate provisions in collective bargaining agreements, specifying:-

- a) the circumstances in which seafarers are entitled to repatriation in accordance with the provisions of clauses (b) and (c) of sub-rule (2);
- b) the maximum duration of service periods on board following which a seafarer is entitled to repatriation – which shall be less than twelve months; and
- c) the precise entitlements to be accorded by ship owners for repatriation, including those relating to the destinations of repatriation, the mode of transport, the items of expense to be covered and other arrangements to be made by ship owners.

(4) The ship owner shall not make any provision requiring that seafarers make an advance payment towards the cost of repatriation at the beginning of their employment, and also from recovering the cost of

repatriation from the wages of seafarers or other entitlements except where the seafarer has been found, as per the applicable collective bargaining agreements, to be in default of the seafarer's employment obligations.

(5) Nothing contained in this rule shall prejudice any right of the ship owner to recover the cost of repatriation under third-party contractual arrangements.

(6) Each ship owner shall make available to seafarers, a copy of the applicable provisions regarding repatriation in English.

(7) If a ship owner fails to make arrangements for or to meet the cost of repatriation of seafarers who are entitled to be repatriated-

- (a) the Director General of Shipping shall arrange for repatriation of the seafarers concerned or the country from which the seafarers are to be repatriated or the country of which they are a national may arrange for their repatriation and in all such cases the cost shall be recovered from the financial security referred to in sub-rules (1) and (12) of rule 12;
- (b) the expenses of repatriation shall in no case be a charge upon the seafarers, except as provided for in sub-rule (4).

(8) Taking into account the applicable international instruments, including the International Convention on Arrest of Ships, 1999, the Director General of Shipping who has arranged the cost of repatriation pursuant to this rule may detain, or request the detention of, the ship of the owner of the concerned ship until the reimbursement has been made in accordance with clause (c) of sub-rule (7);

(9) Director General of Shipping shall facilitate the repatriation of seafarers serving on ships which call at its ports or pass through its territorial or internal waters, and their replacement on board;

(10) In particular, the right of repatriation to any seafarers shall not be refused due to financial circumstances of the ship owner or for the inability of the ship owner or unwillingness to replace a seafarer.

(11) Ship owner shall ensure that the copy of these rules are carried and are available on board to the seafarers.

(12) Every ship to which these rules apply shall carry a certificate or other documentary evidence of financial security issued by the financial security provider and a copy of the same shall be posted in a conspicuous place on board where it is available to the seafarers. Where there is more than one financial security provider, the document provided by each provider shall be carried on board.

(13) The certificate or documentary evidence of financial security shall contain the information as required in Form 1.

(14) Financial security system shall be sufficient to cover the following, namely.—

- (a) outstanding wages and other entitlements due from the ship owner to the seafarer under the employment agreement, the relevant collective bargaining agreement, limited to four months of any such outstanding wages and four months of any such outstanding entitlements;
- (b) all expenses reasonably incurred by the seafarer, including the cost of repatriation referred to sub-rule (15);
- (c) the essential needs of the seafarer including such items, namely, adequate food, clothing where necessary, accommodation, drinking water, essential fuel for survival on board the ship, necessary medical care and any other reasonable costs or charges from the act or omission constituting the abandonment until the seafarer's arrival at home.

(15) Cost of repatriation shall cover travel by appropriate and expeditious means, normally by air, and include provision for food and accommodation of the seafarers from the time of leaving the ship until arrival at the seafarer's home, necessary medical care, passage and transport of personal effect and any other reasonable costs or charges arising from the abandonment.

(16) The financial security shall not cease before the end of the period of validity of the financial security.

(17) If the providers of financial security has made any payment to any seafarers in accordance with the provisions of these rules, such provider shall, up to the amount it has paid and in accordance with the

applicable law, acquire by subrogation, assignment or otherwise, the right which the seafarers would have enjoyed.

13. Seafarer compensation for the ship's loss or foundering.— (1) The ship owner shall ensure that, in every case of loss or foundering of any ship, the ship owner shall pay to each seafarer on board an indemnity against unemployment resulting from such loss or foundering which shall be specified in the collective bargaining agreement.

(2) The provision of sub-rule (1) shall be without prejudice to any other rights a seafarer may have under any other law for the time being in force for losses or injuries arising from a ship's loss or foundering.

14. Manning levels.— (1) The ship owner shall ensure that each ship shall employ on board as per the safe manning document issued by Mercantile Marine Department from time to time so that the ships are operated safely, efficiently and with due regard to security under all conditions, taking into account concerns about seafarer fatigue and the particular nature and conditions of the voyage.

(2) The ship owner shall ensure that every ship is manned by a crew that is adequate, in terms of size and qualifications, to ensure the safety and security of the ship and its personnel, under all operating conditions, in accordance with the minimum safe manning document as specified by the Director General of Shipping.

(3) Director General of Shipping shall, when determining, approving or revising the manning levels, take into account the need to avoid or minimise the excessive hours of work so as to ensure sufficient rest and to limit fatigue, and also the principles in the applicable international instruments, especially those of the International Maritime Organisation, on manning levels.

(4) The Director General of Shipping shall also take into account all the requirements of rule 17 in determining manning levels.

15. Career and skill development and opportunities for seafarers' employment.— (1) Director General of Shipping shall encourage career and skill development and employment opportunities for seafarers, in order to provide the maritime sector with a stable and competent workforce.

(2) The aim of the policies referred in sub-rule (1), shall be to help the seafarers, strengthen their competencies, qualifications and employment opportunities.

(3) Director General of Shipping, after consulting the owners of the ship and seafarers' organisations concerned, establish clear objectives for the vocational guidance, education and training of seafarers whose duties on board ship primarily relate to the safe operation and navigation of the ship, including ongoing training.

CHAPTER IV

16. Accommodation and recreational facilities.— (1) Accommodation and recreational facilities on board ships shall be in accordance with Merchant Shipping (Crew Accommodation) Rules, 1960 and Merchant Shipping (Seafarers' Accommodation) Rules, 2016.

(2) The inspections required under rule 25 shall be carried out when.-

- (a) ship is registered or re-registered; or
- (b) the seafarer accommodation on a ship has been substantially altered.

(3) The ship owner shall provide recreational facilities on board ships at no cost to the seafarer.

17. Food and catering.— (1) (a) The ship owner shall provide variety food of required quality, quantity and nutritional value and water, including drinking water which covers the requirement of the complement on board the ship, their religious requirements and cultural practices pertaining to food, duration and nature of voyage.

(b) The organisation and equipment of catering department shall be such as to permit the provision of adequate, varied and nutritious meals prepared and served in hygienic conditions.

(2) The quality and quantity of food supplied shall be in conformity with the collective bargaining agreement or as may be specified by the Director General of Shipping.

(3) The ship owner shall ensure that the food and water including drinking water is provided to the seafarers free of charge during the period of engagement.

(4) The ship owner shall ensure that the seafarers who are engaged as cooks of the ship are trained, qualified and found competent as specified by the Director General of Shipping.

(5) Catering staff shall be trained or instructed for their positions on board ship.

(6) On ships operating with a specified manning of less than ten which, by virtue of the size of the crew or the trading pattern, may not be required to carry a fully qualified cook, anyone processing the food in the galley shall be trained or instructed in areas including food and personal hygiene and handling and storage of food on board ship.

(7) In the case of exceptional necessity, the Director General of Shipping may, issue a dispensation permitting a non-fully qualified cook to serve in a specified ship for a specified period, until the next convenient port of call or for a period not exceeding one month:

Provided that the person to whom the dispensation is issued is trained or instructed in areas including food and personal hygiene and handling and storage of food on board ship.

(8) The ship owner shall ensure that frequent documented inspections are carried out on board ships, by or under the authority of the master, with respect to—

- a) supply of food, water and drinking water;
- b) all spaces and equipment used for the storage and handling of food, water and drinking water; and
- c) galley and other equipment for the preparation and service of meals.

(9) No seafarer under the age of eighteen shall be employed or engaged or work as a cook with the ship.

CHAPTER V

Health protection, Medical care, Welfare and Social protection

18. Medical care on board ship and ashore.— (1) The ship owner shall adopt such measures for providing protection of health and medical care, including essential dental care, at no cost to the seafarers, for seafarers working on board a ship which —

- a) ensure the application to seafarers, of any general provisions on occupational protection of health and medical care relevant to their duties, and of special provisions specific to work on board ship whilst working on board;
- b) ensure that seafarers are given protection of health and medical care including prompt access to the necessary medicines, medical equipment in accordance with the provisions of the Merchant Shipping (Medicine, Medical stores appliances and First Aid Equipment) Rules, 1994, and facilities for diagnosis and treatment and to medical information and expertise;
- c) give seafarers the right to visit a qualified medical practitioner or dentist without delay in ports of call, where practicable, at no cost to the seafarer;
- d) ensure that medical care and protection of health services while a seafarer is on board ship or landed in a foreign port are provided free of charge to seafarers; and are not limited to treatment of sick or injured seafarers but include measures of a preventive character such as health promotion and health education programmes.

(2) The ship owner shall adopt a standard medical report form for use by the masters of the ship and relevant onshore and on-board medical personnel as specified by the Director General of Shipping and the form when completed, its contents shall be kept confidential and shall only be used to facilitate the treatment of seafarers.

(3) The Ship to which Merchant Shipping (Carriage of Medical Officers) Rules, 1961 apply shall carry medical practitioner on board.

(4) (a) The ship which does not carry a medical practitioner shall be required to have either at least one seafarer on board who is in charge of medical care and administering medicine as part of their regular duties or at least one seafarer on board competent to provide medical first aid.

(b) Persons in charge of medical care on board who are not medical practitioner shall have satisfactorily completed training in medical care that meets the requirements of Standard of Training Certification and Watch Keeping Convention.

(c) Seafarers designated to provide medical first aid shall have satisfactorily completed training in medical first aid that meets the requirements of Standard of Training Certification and Watch keeping.

(5) (a) The ship owner shall ensure by a prearranged system that medical advice by radio or satellite communication to ships at sea, including specialist advice is available on all twenty four hours of a day.

(b) Such medical advice, including the onward transmission of medical messages by radio or satellite communication between a ship and those ashore giving the advice, shall be available free of charge to all ships irrespective of the flag that they fly.

19. The Liability of the Ship Owner. — (1) The ship owner shall ensure to provide seafarers employed on the ships with a right to material assistance and support with respect to the financial consequences of sickness, injury or death occurring while they are serving under a seafarers' employment agreement or arising from their employment under such agreement.

(2) Nothing contained in sub-rule (1) shall affect any other legal remedy available to a seafarer under any law for the time being in force.

(3) The ship owner shall be responsible for protection of health and medical care of all seafarers working on board the ship in accordance with the following minimum standards, namely.—

- a) The ship owner shall be liable to bear the costs for seafarers working on their ship in respect of sickness and injury of the seafarers occurring between the date of commencing of the duty and the date upon which they are deemed duly repatriated, or arising from their employment between those dates;
- b) The ship owner shall provide financial security to assure compensation in the event of the death or long-term disability of seafarers due to an occupational injury, illness or hazard, as set out in the seafarers' employment agreement or collective agreement;
- c) The ship owner shall be liable to defray the expense of medical care, including medical treatment and the supply of the necessary medicines and therapeutic appliances, and boarding and lodging away from home until the sickness or incapacity has been declared to be of a permanent character; and
- d) The ship owner shall be liable to pay the cost of funeral expenses in the case of death occurring on board or ashore during the period of engagement.

(4) The Director General of Shipping may limit the liability of the ship owner to defray the expenses of medical care and aboard and lodging to a period which shall not be less than sixteen weeks from the day of the injury or the commencement of the sickness.

(5) Where the sickness or injury results in incapacity for work, the ship owner shall be liable.-

- a) to pay full wages till the sick or injured seafarers remain on board or until the seafarers have been repatriated in accordance with the collective bargaining agreement;
- b) to pay wages in whole or in part in accordance with the provisions of law for the time being in force or as provided for in collective agreement from the time when the seafarers are repatriated or landed until their recovery or, if earlier, until they are entitled to cash benefit under the law for the time being in force.

(6) The Director General of Shipping may limit the liability of the ship owner to pay wages in whole or in part in respect of a seafarers no longer on board to period which shall not be less than sixteen weeks from the days of the injury or the commencement of the sickness.

- (7) The Director General of Shipping may exclude the ship owner from liability in respect of—
- a) injury, not sickness, incurred otherwise than in the service of the ship; injury or sickness due to the wilful misconduct of the sick, injured or deceased seafarers; and
 - b) sickness or infirmity intentionally concealed when the engagement is entered into.
- (8) The Director General of Shipping may exempt the ship owner from liability to defray the expense of medical care and board and lodging and funeral expenses in so far as such liability is assumed by the public authorities.
- (9) The ship owner or his representatives shall take measures for safeguarding property left on board by sick, injured or deceased seafarers and for returning it to them or to their next to kin.
- (10) The ship owner shall ensure that the system of financial security to assure compensation as provided in clause (b) of sub-rule (3) for contractual claims, meet the following minimum requirements, namely:—
- (a) the contractual compensation, as set out in the seafarers' employment agreement and without prejudice to clause (c) sub-rule (10), shall be paid in full and without delay;
 - (b) there shall be no demand to accept a payment less than the contractual amount;
 - (c) whereas the nature of the long-term disability of a seafarers makes it difficult to assess the full compensation to which the seafarers may be entitled, an interim payment shall be made to the seafarers so as to avoid undue hardship;
 - (d) the seafarers shall receive payment in accordance with the provisions of sub-rule (3), without prejudice to other legal right, but such payment may other claim made by the seafarers against the ship owner and arising from the same incident; and
 - (e) the claim for concerned compensation may be brought directly by the seafarers concerned, or their next of kin, or a representative of the seafarers or designated beneficiary.
 - (f) the evidence of financial security shall be as per Form -2.
- (11) The ship owner shall not cancel or terminate the financial security without giving a notice in writing to the seafarer.
- (12) The ship owner shall ensure that no financial security shall be cancelled or terminated by the provider of the financial security without giving notice of atleast thirty days in advance, to the Director General of Shipping by the provider of financial security.
- (13) (a) The ship owner shall ensure that his ships carry on board a certificate or other documentary evidence of financial security issued by the financial security provider and copy of the same shall be posted in a conspicuous place on board where it is available to the seafarers;
- (b) Where more than one financial security provider provides the cover, the document provided by each provider shall be carried on board.
- (14) Financial security shall not cease before the end of the period of validity of the financial security unless the financial security providers has given prior notification of at least thirty days to the competent authority of the flag State.
- (15) Financial security shall provide for the payment of all contractual claims covered by it which arise during the period for which the document is valid.
- (16) The certificate, other documentary evidence of financial security shall contain the information specified in Form-1 and it shall be in English or accompanied by an English translation.
- (17) For the purposes of sub-rule (10), the term “contractual claim” means any claim which relates to death or long-term disability of seafarers due to an occupational injury, illness or hazard as set out in the seafarers' employment agreement or collective bargaining agreement.
- (18) The system of financial security, as provided in sub-rule (10), may be in the form of a social security scheme or insurance or fund or other similar arrangements. The form of the financial security shall be

determined by the Director General of Shipping after consultation with the ship owners' and seafarers' organisations concerned.

(19) The ship owner shall receive, deal with and impartially settle contractual claims relating to compensation referred to in this rule through expeditious and fair procedures.

20. Health and safety protection and prevention of accident.— The Director General of Shipping may specify separate guidelines from time to time, for the management of occupational safety and protection of health on board the ships.

21. Access to shore based welfare facilities.— The Director General of Shipping may specify separate guidelines from time to time for providing seafarers on ships that are in Indian ports with access to adequate welfare facilities and services.

22. Social security.— (1) To achieve social security the following branches of social security protections shall be adopted, namely:-

- a) medical care;
- b) sickness benefit;
- c) nemployment benefit;
- d) ld-age benefit;
- e) mployment injury benefit;
- f) amily benefit;
- g) aternity benefit;
- h) invalidity benefit and survivors' benefit.

(2) The social security protection referred to in sub-rule (1) shall be in addition to the protection provided under rules 18 and 19.

(3) The Director General of Shipping shall establish social security protection progressively for all its seafarers serving on board Indian ships or on board other flag state ships, in collaboration with the stakeholder's equivalent schemes as per the national circumstances.

CHAPTER VI

FLAG STATE RESPONSIBILITIES

23. Implementation of the maritime labour convention.— (1) The Director General of Shipping shall establish an effective system for.—

- (a) the inspection and certification of the maritime labour conditions by itself or through any recognised organisation in accordance with the provisions of the convention;
- (b) the issuance, endorsement and renewal, of interim or full time Maritime Labour Certificate along with the Declaration of Maritime Labour Compliance, complying with the provisions of the convention.

(2) The Director General of Shipping shall provide the International Labour Office with a current list of recognised organisations authorised to act on its behalf and it shall keep this list up to date.

(3) The list, referred to in sub-rule (1), shall specify the functions that the recognised organisations have been authorised to carry out and the list shall be made available to the public.

(4) The Director General of Shipping shall specify the manner for maintaining the records of inspections of ships that fly the Indian Flag.

(5) The Director General of Shipping shall publish an annual report on such inspection within a reasonable time, not exceeding six months, after the end of the year.

24. Maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance.— (1) Director General of Shipping or by any officer, authority or organisation authorised by him in this behalf shall issue a Maritime Labour Certificate in accordance with Maritime Labour Convention.

(2) Director General or by any officer, authority or organisation authorised by him in this behalf, shall issue a Declaration of Maritime Labour Compliance in respect of a ship that it meets with the requirements and standards set out in provisions of the Maritime Labour Convention.

(3) The ships covered under this rule shall carry and maintain a declaration of maritime labour compliance stating the requirements for implementing these rules for the working and living conditions for seafarers and setting out the measures adopted by the ship owner to ensure compliance with the requirements on the ship or ships concerned.

(4) The declaration of maritime labour compliance shall be in two parts, Part I and Part II and shall be in the Form-3 and Form-4 respectively.

(5) Maritime labour Certificate may be issued on an interim basis in the Form-5:

- (a) to a new ships on delivery; or
- (b) when a ship changes flag; or
- (c) when a ship owner assumes responsibility for the operation of a ship which is new to that ship owner.

(6) Such interim maritime labour certificate may be issued by the recognised organisation or any other person authorised by the Director General of Shipping for a period not exceeding six months, following verification that—

- (a) the ship has been inspected as far as reasonable and practical, for the matters listed in the Form-6;
- (b) the ship owner has demonstrated to the recognised organisation or any other person authorised by the Director General of Shipping that the ship has adequate procedures to comply with this rule;
- (c) the master is familiar with the requirements of these rules and the responsibilities for its implementation; and
- (d) relevant information has been submitted to the recognised organisation or any other person authorised by the Director General of Shipping to produce a declaration of maritime labour compliance.

(7) The ships covered under this rule shall be issued a Maritime Labour Certificate in Form -7 by the recognised organisations or any other person authorised by Director General of Shipping certifying that the working and living conditions of seafarers on the ship, including measures for ongoing compliance to be included in the declaration of maritime labour compliance referred to in sub- rule (3) have been inspected and meet the requirements for implementing the Convention.

25. Inspection and Enforcement.— (1) The Director General of Shipping shall establish an effective and coordinated system of regular inspections, monitoring and other control measures to ensure that the ships, to which these rules apply, comply with the requirements of these rules.

(2) The Director General of Shipping shall maintain a system of inspection of the conditions for seafarers on ships to which this rule apply, which shall include verification that the measures relating to working and living conditions as set out in the declaration of maritime labour compliance, are being followed, and that the requirements of these rules are met.

(3) If the Director General of Shipping or an officer authorised by him, receives a complaint which it does not consider manifestly unfounded or obtains evidence that a ship to which these rules apply does not conform to the requirements of these rules or that there are serious deficiencies in the implementation of the measures set out in the declaration of maritime labour compliance, the Director General of Shipping or an officer authorised by him shall take necessary steps to investigate the matter and ensure that action is taken to remedy any deficiencies found.

(4) The Director General of Shipping may issue clear guidelines to the inspecting authority as to the tasks to be performed and shall empower them:

- (a) to board a ship that flies the Indian flag;
- (b) to carry out any examination, test or inquiry which they may consider necessary in order to satisfy themselves that the standards are being strictly observed; and
- (c) to require that any deficiency is remedied and, where they have grounds to believe that deficiencies constitute a serious breach of the requirements of these rules, including seafarers' rights, or represent a significant danger to seafarers' safety, health or security, to prohibit a ship from leaving port until necessary remedial actions are taken.

(5) Any action taken to pursuant clause (c) of sub-rule 4 shall be subject to right of appeal to administrative authority as may be specified by the Director General of Shipping.

26. On board complaint procedures:— The Indian Flag ship shall adopt following on board complaint procedures:—

(1) Any aggrieved seafarer serving on board an Indian flag ship shall, as soon as is feasible, submit a written complaint to his Head of Department on board (deck or engine), which shall be immediately and formally acknowledged by the Head of Department to the seafarer concerned.

(2) If the Head of Department cannot resolve the seafarer's complaint to the satisfaction of the seafarer, within a prescribed time limit of three days of receipt of the complaint, the Head of Department shall refer it to the Master of the ship, who shall handle the matter personally and settle the issue within seven days of receipt of complaint.

(3) A seafarer shall, at all times, have the unequivocal right to be accompanied and to be represented by another seafarer of his choice on board the ship concerned, while making the complaint or for the follow - up work thereon.

(4) All complaints and decisions on the complaint shall be duly recorded in the official record book and a copy of the decision taken, in each case, shall be provided to the seafarer concerned by the said issue resolving authority. A proper documentary record of all the complaints and actions taken on each complaint shall be kept on board and shall be available for an inspection by the authorities concerned for a period of at least three years of receipt of complaint.

(5) If the Master of the vessel cannot resolve the complaint on board, he shall take it up with to the ship owner concerned, under and due immediate intimation to the seafarer. The ship owner shall resolve the matter, without any delay, but not later than within a maximum period of one month of receipt of complaint. Contact details of the ship owner for resolving seafarer's complaints shall be made available onboard, by the Master of the vessel. The ship owner shall, in resolving the complaint, take the assistance of the Committee that may be set up by it, comprising the seafarers union(s) also.

(6) If the complaint of the seafarer is not resolved by the recruitment and placement service or ship owner within one month, including the Committee also represented by the seafarers union, the seafarer shall have the right to approach the competent authority, through the Grievance Redressal Mechanism as may be issued by the Director General from time to time. The complaint so registered with the authority shall contain the copies of the complaint made by the seafarer to all his superiors, as mentioned above, including to the recruitment and placement service or ship owner or Union (if any) and the replies given thereto by them, if any.

(7) A seafarer on board a vessel calling at a foreign port, in between a voyage shall also have the right to separately report his complaint alleging breach of the requirement of, the Maritime Labour Convention, 2006 including seafarers' rights, to the authorised officer at that port, under the Maritime Labour Convention on-shore seafarer complaint handling procedures.

(8) In all such cases, seafarers shall also have the right to file their complaints directly with the Master or recruitment and placement service provider or ship owner or any other legal entity that the seafarers may consider appropriate for the purpose.

27. Port State Inspections:— The Director General of Shipping shall establish the procedure for inspection as required under the convention for fulfilling its port state responsibilities.

28. Onshore seafarer complaint-handling procedures.-(1) An on shore complaint redressal procedure shall be followed in all Indian ports as specified by the Director General of Shipping, in consultation with the ship owners and seafarers' organisations concerned, who are parties to the Collective Bargaining Agreement as reflected in the seafarers employment agreement, where applicable.

(2) The Director General of Shipping shall take necessary steps to safeguard the confidentiality of seafarers making the complaints.

Form-1

[See rule 12]

Evidence of financial security

The certificate and other documentary evidence of financial security required under sub-rule (13) of rule 12 shall include the following information, namely:-

- (a) Name of the ship;
- (b) Port of registry of the ship;
- (c) Call sign of the ship;
- (d) International Maritime Organisation number of the ship;
- (e) Name and address of the provider or providers of the financial security;
- (f) Contact details of the person or entity responsible for handling seafarer's contractual claims;
- (g) Name of the owner of the ship;
- (h) Period of validity of the financial security; and
- (i) An attestation from the financial security provider that the financial security meet the requirement of rule 12.

Form-2

[See rule 19]

Evidence of financial security

The certificate and other documentary evidence of financial security required under sub-rule 10 (f) of rule 19 shall include the following information, namely:-

- (a) Name of the ship;
- (b) Port of registry of the ship;
- (c) Call sign of the ship;
- (d) International Maritime Organisation number of the ship;
- (e) Name and address of the provider or providers of the financial security;
- (f) Contact details of the person or entity responsible for handling seafarer's contractual claims;
- (g) Name of the owner of the ship;
- (h) Period of validity of the financial security; and
- (i) An attestation from the financial security provider that the financial security meet the requirement of rule 19.

Form-3

[See rule 24 (5)]

Declaration of Maritime Labour compliance – Part I

(Note: This Declaration must be attached
to the ship's Maritime Labour Certificate)

Issued under the authority of Director General of Shipping

With respect to the provisions of the Maritime Labour Convention, 2006 the following referenced ship:-

Name of ship	IMO number	Gross tonnage

is maintained in accordance with the provisions of rule 24.

The undersigned declares, on behalf of the abovementioned competent authority, that:-

- (a) the provision of the Maritime Labour Convention are fully embodied in the requirements referred to below:
- (b) these requirement are contained in the provisions referenced below; explanations concerning the content of those provisions are provided where necessary;
- (c) the detail of any substantial equivalencies under Article VI, paragraphs 3 and 4 of the Convention are provided under the corresponding requirement listed below in the section provided for this purpose below (*strike the statement which is not applicable*);
- (d) any exemption granted by the under rules (16) and (17) should be clearly indicated in the section provided for this purpose below; and
- (e) any ship-type specific requirements under national legislation are also referenced under the requirement concerned.
 1. Minimum age (Rule 4)
 2. Medical certification (Rule 5).....
 3. Qualification of seafarers (Rule 6).....
 4. Seafarers' employment agreement (Rule 8).....
 5. Use of any licensed or certificated or regulated private recruitment and placement service (Rule 7).....
 6. Hours of work or rest (Rule 10).....
 7. Manning levels for the ship (Rule14).....
 8. Accommodation (Rule16).....
 9. On-board recreation facilities (Rule 16).....
 10. Food and catering (Rule 17).....
 11. *Health and safety and accident prevention (Rule 18).....*
 12. On-board medical care (Rule18).....
 13. On-board complaint procedures (Rule 26).....
 14. Payment of wages (Rule 9).....

Name:

Title:

Signature:

Place:

Date:

(Seal or stamped of the authority)

Substantial equivalencies

(Note: Strike out the statement which is not applicable)

The following substantial equivalencies, as provided under Article VI, paragraphs 3 and 4 of the Convention, except where stated above, are noted (insert description if applicable):

.....
.....

No equivalency has granted.

Name:

Title:

Signature:

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority)

Exemptions

(Note: Strike out the statement which is not applicable)

The following exemptions granted by the competent authority) are noted:

.....
.....

No exemption has been granted.

Name:

Rule:

Signature:

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Form-4

[See rule 24 (5)]

Declaration of Maritime Labour Compliance – Part II

Measures adopted to ensure ongoing compliance between inspections

The following measures have been drawn up by the ship owner, named in the Maritime Labour Certificate to which this declaration is attached to ensure ongoing compliance between inspections:

(State below the measures drawn up to ensure compliance with each of the items in Part I)

1. Minimum age (Rule 4)

.....

2. Medical certification (Rule 5)

.....

3. Qualification of seafarers (Rule 6)

.....

- 4. Seafarers' employment agreement (Rule 8)
.....
- 5. Use of any licensed or certificated or regulated private recruitment and placement service (Rule 7)
.....
- 6. Hours of work or rest (Rule 10)
.....
- 7. Manning levels for the ship (Rule 14)
.....
- 8. Accommodation (Rule 16)
.....
- 9. On-board recreation facilities (Rule 16)
.....
- 10. Food and catering (Rule 17)
.....
- 11. Health and safety and accident prevention (Rule 18)
.....
- 12. On-board medical care (Rule 18)
.....
- 13. On-board complaint procedures (Rule 26)
.....
- 14. Payment of wages (Rule 9)
.....

I hereby certify that the above measure have been drawn up to ensure ongoing Compliance, between inspections, with the requirement listed in part I.

Name of the owner of the ship:

Company address:

Title:

Signature of the authorised signatory:.....

Date:

(Stamp or seal of the ship owner)

The above measures have been reviewed by (*insert name of competent authority or duly recognised organisation*) and, following inspection of the ship, have been determined as meeting the purpose set out under rule 24, regarding measures to ensure initial and ongoing compliance with the requirements set out in Part I of this Declaration.

Name:

Rule:

Address:

.....

.....

Signature:

Place:

Date:

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Form-5

[See rule 24 (6)]

Interim Maritime Labour Certificate.....
(Full designation of the issuing authority)

by

(Full designation and address of the authority or duly authorised recognised organisations)

Particular of the ship

Name of ship

Distinctive number or letters.....

Port of registry

Date of registry

Gross tonnage.....

International Maritime Organisation number

.....

Type of ship

Name and address of the owner of the ship.....

.....

.....

This is to certify, for the purpose of rule 24, that:

- (a) this ship has been inspected, as far as reasonable and practicable, for the **matters listed in Form-5 to these rules, taking into account verification of** items under (b), (c) and (d) below;
- (b) the owner of the ship has demonstrated to the competent authority or recognised organisation that the ship has adequate procedures to comply with these rules.
- (c) the master is familiar with the requirements of these rules and the responsibilities for implementation;
and
- (d) relevant information has been submitted to the competent authority or recognised organisation to produce a Declaration of Maritime Labour Compliance.

This Certificate is valid until Subject to inspection in accordance with rules 24 and 25.

Completion date of the inspection referred to under (a) above was.....

Issued at..... on.....

Signature of the duly authorised official

Issuing the interim certificate.....

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)

Form-6

[See rule 24 (7) (a)]

The working and living conditions for seafarers that shall be inspected and approved by the competent authority before certifying that the ship is in accordance with rule 24 are as under:-

- (1) Minimum age:
- (2) Medical certification:
- (3) Qualification of seafarers:
- (4) Seafarers' employment agreements:
- (5) Use of any licensed or certified or regulated private recruitment and placement service:
- (6) Hours of work or rest:
- (7) Manning levels for the ship:
- (8) Accommodation:
- (9) On-board recreational facilities:
- (10) Food and catering:
- (11) Health and safety and accident prevention:
- (12) On-board medical care:
- (13) On-board compliant procedures:
- (14) Payment of wages:

Form-7

[See rule 24 (7)]

Maritime Labour Certificate

*(Note: This Certificate shall have a Declaration
of Maritime Labour Compliance attached)*

.....
(Full designation of the issuing authority)

by.....

(Full designation and address of the authority or recognised organisation duly authorised under the provision of the rules)

Particular of the ship

Name of ship

Distinctive number or letters

Port of registry

Date of registry

Gross tonnage *

International Maritime Organisation number
.....

Type of ship

Name and address of the ship owner.....

.....

.....

* For ships covered by the tonnage measurement interim scheme adopted by the IMO, the gross tonnage is that which is included in the REMARKS column of the International Tonnage Certificate (1969). See Article II(1)(c) of the Convention.

This is to certify:

1. that this ship has been inspected and verified to be in compliance with the requirements of the Convention, and the provision of the attached Declaration of Maritime Labour Compliance.

2. that the seafarers' working and living condition specified in Form-6 were found to correspond to the abovementioned country's national requirement implementing the Convention. These national requirements are summarised in the Declaration of Maritime Labour Compliance, Part I.

This certificate is valid untilsubject to inspection in accordance with Rules 24 and 25.

This certificate is valid only when the Declaration of Maritime Labour Compliance issued at..... on..... is attached.

Completion date of the inspection on which this certificate is based was.....

Issued at..... on

Signature of the duly authorised official issuing the Certificate

(Seal or stamp of issuing authority, as appropriate)

Endorsements for mandatory intermediate inspection and, if required, any additional inspection

This is to certify that the ship was inspected in accordance with the provisions of rule 25 and that the seafarers' working and living conditions specified in the said rule were found to correspond to the requirement:

Signed.....

(to be completed between the second and third anniversary dates)

(Signature of authorised official)

Place.....

Date

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Additional endorsements (if required)

This is to certify that the ship was the subject of an additional inspection for the purpose of verifying whether the ship continued to be in compliance with the requirements implementing the Convention, as required by sub-rule (3) of rule 16 (re-registration or substantial alteration of accommodation) or for other reasons.

Additional inspection:

Signed.....

(if required)

(Signature of authorised official)

Place

Date

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Additional inspection:

Signed.....

(if required)

(Signature of authorised official)

Place

Date

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Additional inspection:
(if required)

Signed.....

(Signature of authorised official)

Place

Date

(Seal or stamp of the authority,
as appropriate)

[F. No. SR-23011/3/2015]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.